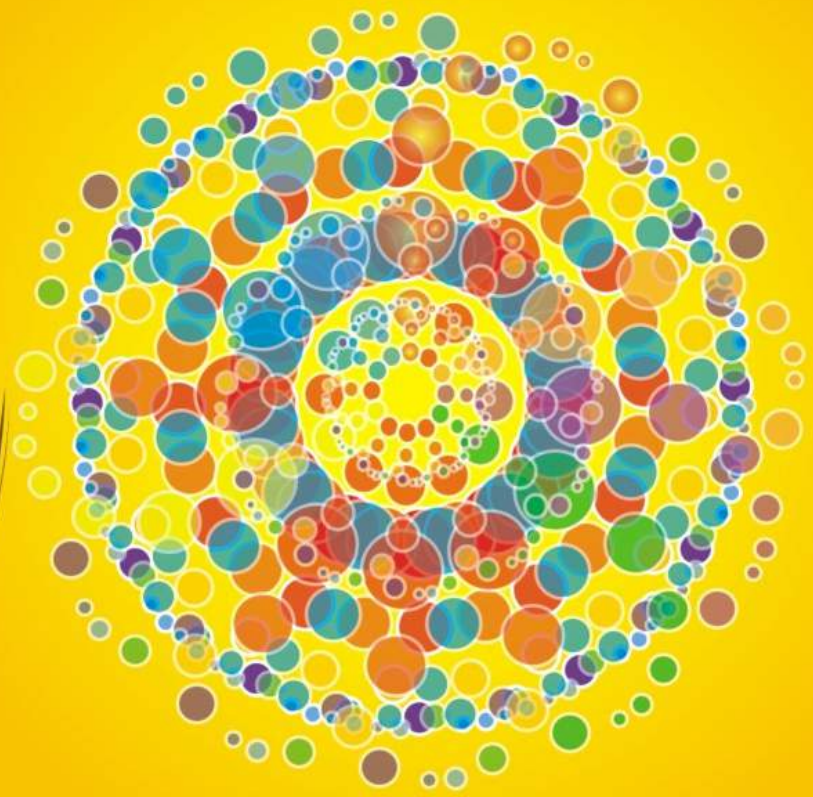
परीक्षा मंथन™

empowering aspirants since 1984

www.facebook.com/parikshamanthan
www.facebook.com/groups/parikshamanthan
www.facebook.com/parikshamanthan.currentaffairs
www.parikshamanthan.blogspot.com

'निबन्ध मंथन'

235 से अधिक निबन्धों का अद्‌भुत संकलन



तीसवाँ संशोधित एवं परिवर्धित संस्करण

परीक्षा मंथन

निबंध मंथन

(Nibandh Manthan)

(2016-17)

विगत 15 वर्षों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में
पूछे गए निबंधों के अनुरूप प्रस्तुति।
वर्ष 2015 तक अद्यतन।

परीक्षा मंथन/मंथन प्रकाशन की पुस्तकें फ्लिपकार्ट
पर भी उपलब्ध हैं। संपर्क करें

flipkart.com

मूल्य : 275

मंथन प्रकाशन

7R/5 ताशकंद मार्ग सिविल लाइंस, इलाहाबाद
मोबाइल नं. : 09335151971

संपादक : अनिल अग्रवाल

प्रथम संस्करण : 1997

तीसवां संशोधित एवं परिवर्द्धित संस्करण : 2016-17

© सर्वाधिकार : प्रकाशक

ISBN 978-93-82684-28-2

प्रधान कार्यालय : 7R/5 ताशकंद मार्ग सिविल लाइंस, इलाहाबाद-211001

मोबाइल नं. : 09335151971

website : www.manthanprakashan.com

email : info@manthanprakashan.in

samarth@manthanprakashan.in

मूल्य : 275

''लघु निबंध मंथन''

परीक्षार्थियों की सुविधा एवं उनकी जबरदस्त मांग को ध्यान में रखकर 'मंथन प्रकाशन' द्वारा प्रतिवर्ष ताजा-तरीन घटनाओं, योजनाओं-परियोजनाओं, समझौतों, समसामयिक अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों एवं नई-नई हलचलों पर केन्द्रित एक 80 पृष्ठीय 'लघु निबंध मंथन' प्रकाशित की जाएगी। यह निबंधों पर केन्द्रित हमारा वार्षिक अतिरिक्तांक होगा। इसका दोहरा लाभ हमारे पाठकों को मिलेगा। इससे निबंध लेखन में तो उन्हें मार्गदर्शन मिलेगा ही, वे समसामयिक संदर्भों में भी अद्यतन रहेंगे। यह वार्षिक निबंध पुस्तिका 'लघु निबंध मंथन' प्रत्येक वर्ष मई माह के द्वितीय सप्ताह में उपलब्ध होगी।

संपादक

उत्तर प्रदेश में हमारे कुछ प्रमुख वितरक

*** आशीर्वाद बुक डिपो**
अमीनाबाद लखनऊ
फोन नं. 9235501197

*** मां वैष्णव बुक स्टाल**
G-898 गुजैनी, कानपुर
फोन नं. 9335037540

*** अरविंद बुक स्टाल**
रेल बाजार, कानपुर
फोन नं. 8896431382

*** गौरव बुक एजेंसी**
C31/23 इंग्लिशिया लाईन, वाराणसी
फोन नं. 8173997477

*** श्रीकृष्णा बुक एजेंसी एंड स्टेशनरी मार्ट**
C-31/22 इंग्लिशिया लाईन वाराणसी
फोन नं. 9415820103

इलाहाबाद के हमारे कुछ प्रमुख वितरक

*** इक्लैट बुक सेंटर (दाढ़ी वाले)**
युनिवर्सिटी रोड, इलाहाबाद
फोन नं. 07499471812

*** जायसवाल बुक शॉप**
726 पुराना कटरा, इलाहाबाद
फोन नं. 09450405536

*** ज्ञान भारती बुक सेलर**
युनिवर्सिटी रोड (विज्ञान संकाय के गेट के निकट) इलाहाबाद
फोन नं. 0532-2461347

सभी विवादों का निपटारा इलाहाबाद की सीमा में आने वाली सक्षम अदालतों और फोरमों में ही किया जाएगा।

सम्पादक की कलम से

सुधी पाठकों,



नए तेवर-कलेवर में उत्कृष्ट एवं परीक्षोपयोगी निबंधों का संकलन 'निबंध मंथन' आपके हाथों में है। 'निबंध मंथन' के रूप में हमने 'मंथन प्रकाशन' द्वारा स्थापित की गई विश्वास की उस परम्परा को नया आयाम देने का प्रयास किया है, जो हमारी पहचान से अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। 'निबंध मंथन' का फलक अत्यंत व्यापक है और इसमें हमने उन सभी विषयों को समाहित किया है, जिनका प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से विशेष महत्त्व है। शासन प्रणाली, सामाजिक क्षेत्र, कला-संस्कृति, व्यक्तित्व, शिक्षा, भाषा, विज्ञान, अर्थव्यवस्था, जनसंचार, पर्यावरण, वैदेशिक, आपदा एवं कृषि आदि विषयों पर हमने अलग-अलग खंडों में ललित निबंधों को संजोकर पेश किया है। ऐसा वैविध्य एवं विस्तार आमतौर पर दुर्लभ होता है, जिसे हमने अपार श्रम एवं उद्यम से आपको सुलभ कराने का भरसक प्रयास किया है।

यहां पर 'निबंध मंथन' की कुछ विशिष्टताओं को आपसे साझा करना जरूरी समझता हूं। इसकी पहली विशिष्टता तो यह है कि इसमें हमने उन निबंधों को समाहित किया है, जो विगत 15 वर्षों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। वर्ष 2015 तक की परीक्षाओं में पूछे गए निबंध इसमें शामिल किए गए हैं। दूसरी विशिष्टता यह है कि निबंधों में दिए गए आंकड़े प्रामाणिक एवं अद्यतन तो हैं ही, आंकड़ों एवं वैचारिकता का वह अनूठा समन्वय भी है, जो कि निबंधों के लालित्य के लिए अनिवार्य माना जाता है। इसकी तीसरी विशिष्टता यह है कि हमने अधिकांश निबंधों के साथ विचारणीय बिंदुओं को पिरो कर प्रस्तुत किया है, जिनसे आपको निबंध लेखन की सही समझ के विकास में मदद मिलेगी। चौथी विशिष्टता यह है कि निबंधों के सारगर्भित एवं जीवंतता की हद को छूने वाले अंशों को बीच-बीच में उजागर (High-Light) किया गया है। 'निबंध मंथन' का स्वरूप दस्तावेजी है। इसमें दिए गए निबंध जहां रुचिकर हैं, वहीं शिल्प, बुनावट एवं कसावट की दृष्टि से बेजोड़ भी हैं। ये जहां जानकारी के खजाने हैं, वहीं भाषा एवं व्याकरण के प्रतिमान भी हैं। शैली इतनी बहावदार एवं सहज है कि इन निबंधों को आप बार-बार इस तरह पढ़ना चाहेंगे कि ये आपके मानस पटल पर छा जाएं। यहां यह रेखांकित करना उचित रहेगा कि 'निबंध मंथन' का विशेष महत्त्व प्रतियोगियों के लिए तो है ही, उनके लिए भी है, जिन्हें पठन-पाठन, साहित्य एवं देशकाल से लगाव है। 'निबंध मंथन', वस्तुतः एक ऐसा 'वैचारिक मंथन' है, जो विचारों के 'अमृत-रस' को आपके सामने लाया है। इस मंथन में हमारे सहयोगी कलमकार एवं चिंतक श्री सुधीर अग्निहोत्री, डॉ. लाल बहादुर वर्मा, डॉ. कुमार बीरेंद्र सिंह एवं उदीयमान निबंधकार अंकित पाठक विशेष रूप से साधुवाद के पात्र हैं।

'निबंध मंथन' में इस बात का यथासामर्थ्य ध्यान रखा गया है कि भाषा एवं व्याकरण की त्रुटियां न जाने पाएं, तथापि मानवीय एवं मशीनी चूक से इंकार नहीं किया जा सकता। गुणवत्ता ही हमारी पहचान है, जिसे बनाए रखने की अभीष्ट चेष्टा हमने की है। किन-किन निबंधों ने आपको अधिक प्रभावित किया, कौन से निबंध आपकी कसौटी पर खरे नहीं उतरे, यदि नहीं उतरे तो क्यों नहीं उतरे, कौन-सी कमियों इनमें रह गईं, आदि बातों से हमें अवश्य अवगत कराएं, ताकि आपकी प्रतिक्रियाओं के आलोक में हम भविष्य में और सुधार कर सकें। अपनी बात को बाबा नागार्जुन की इन पंक्तियों से विराम दे रहा हूं—

नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है
मेरी भी आभा है उसमें,
नव गति का नव विहान आने वाला है
जीवन नया छंद फिर से गाने वाला है
मेरी भी आभा है उसमें।

आपका

अनिल अग्रवाल

संपादक

परीक्षा मंथन

निबंध मंथन

(□□□□□□□ □□□□□□□)

(2016-17)

विषय-प्रवेश

शासन प्रणाली 8-89

■ न्यूनतम शासन, अधिकतम अभिशासन ■ सॉफ्ट पॉवर : विविध पहलू ■ सहकारी संघवाद की बढ़ती प्रवृत्ति ■ भारत में लोकपाल ■ लोकतंत्र में सिसिवल सोसायटी की भूमिका ■ संसदीय गतिरोध जनविरोधी ■ भारत में सुशासन अथवा सुशासन किसी देश की प्रगति की कुँजी है ■ धर्म और राजनीति ■ राजनीति और नैतिकता ■ भारतीय लोकतंत्र : सबल और दुर्बल पक्ष ■ भारत की धर्मनिरपेक्ष संस्कृति ■ भारतीय संविधान के सामाजिक-आर्थिक सरोकार अथवा भारतीय संविधान का सामाजिक-आर्थिक आधार एवं दर्शन ■ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ जुड़ी है जिम्मेदारी अथवा स्वतंत्रता और दायित्वबोध ■ राइट टू रिकाल और राइट टू रिजेक्ट ■ अनिवार्य मतदान? अथवा लोकतांत्रिक मूल्य और अनिवार्य मतदान ■ भारत में चुनाव सुधार ■ भारत में न्यायिक सुधार ■ न्याय सबके लिए ■ ''न्याय में विलंब न्याय से इंकार है''! अथवा भारत में त्वरित न्याय की आवश्यकता ■ भारत में न्यायिक सक्रियता : अर्थ, औचित्य तथा सीमाएं अथवा न्यायालीय सक्रियता और भारत का लोकतंत्र अथवा न्यायिक सक्रियतावाद ■ भारत में ग्राम अदालतों की प्रासंगिकता अथवा न्याय को गरीब तक पहुंचना ही चाहिए ■ भारत में पुलिस सुधार अथवा भारतीय पुलिस में सुधार की आवश्यकता अथवा भारत में पुलिस स्वायत्तता ■ साइबर क्राइम अथवा साइबर विश्व : इसके आकर्षण और चुनौतियां अथवा साइबर अपराध : एक जटिल समस्या अथवा साइबर क्राइम : एक वैश्विक समस्या ■ भारत और मानवाधिकार अथवा मानवाधिकारों के संरक्षण की आवश्यकता और उनके क्रियान्वयन के उपाय ■ भारतीय राजनीति और वंशवाद ■ राजनीति का अपराधीकरण ■ चुनावों का सार्वजनिक निधियन ■ भारतीय लोकतंत्र और गठबंधन सरकारें ■ भारत में पंचायती राजव्यवस्था ■ भारत में आंतरिक सुरक्षा प्रबंधन ■ क्षेत्रवाद अथवा बढ़ती क्षेत्रीयता और राष्ट्रीय एकता ■ सूचना का अधिकार और भ्रष्टाचार ■ सूचना का अधिकार : विकास की कुँजी अथवा क्या सूचना का अधिकार अधिनियम स्वच्छ एवं न्यायपूर्ण प्रशासन सुनिश्चित कर सकता है? अथवा सूचना क्रांति के रूप में आरटीआई अधिनियम की भूमिका अथवा सूचना का अधिकार और भ्रष्टाचार अथवा सूचना का अधिकार और जनविश्वास अथवा सूचना के अधिकार का मौजूदा परिदृश्य ■ आरक्षण की अवधारणा ■ भारत में आरक्षण के औचित्य पर प्रकाश डालिए अथवा आरक्षण का औचित्य अथवा भारत में आरक्षण नीति : आवश्यकता एवं समस्याएं अथवा आरक्षण से हानि-लाभ ■ भारत में छोटे राज्यों का औचित्य ■ गैर-सरकारी संगठन और उनकी उपादेयता ■ भारत : नरम राज्य अथवा कठोर राज्य ■ भारत में ई-गवर्नेंस ■ भारत में मोबाइल गवर्नेंस ■ भारत में नौकरशाही : चुनौतियां एवं महत्त्व ■ भारत में राष्ट्रीय एकीकरण : बाधाएं एवं उपाय ■ लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका अथवा लोकतंत्र में विपक्षी दलों की भूमिका

सामाजिक क्षेत्र 90-160

■ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अथवा विश्व-योग दिवस की प्रासंगिकता ■ स्वच्छ भारत अभियान ■ ड्रग्स फ्री इंडिया ■ भारत में सूचना क्रांति और इसका समाज पर प्रभाव ■ भ्रष्टाचार : कारण और निवारण ■ महिला सशक्तीकरण अथवा नारी शक्ति को बल कैसे दें अथवा महिला शक्तिसम्पन्नकरण : चुनौतियां और संभावनाएं अथवा केवल अधिकतर राजनीतिक अधिकार महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं ला सकता अथवा नारी सशक्तीकरण : दशा एवं दिशा अथवा केवल शक्ति और अधिकार से औरतों की मदद नहीं कर सकते अथवा महिला मुक्ति किस ओर ■ भारत में नारी सशक्तीकरण की पहलें ■ महिला सशक्तीकरण : मानवता सशक्तीकरण ■ भारत में बाल-विवाह की समस्या ■ भारत में बाल अधिकार संरक्षण की पहलें ■ भारतीय राजनीति में युवा शक्ति ■ विद्यार्थी और राजनीति ■ देश के नव-निर्माण में युवा वर्ग की भूमिका ■ राष्ट्र निर्माण में बुद्धिजीवियों की भूमिका अथवा राष्ट्र के निर्माता होते हैं बुद्धिजीवी ■ भारत में सरोगेसी की नैतिक स्वीकार्यता अथवा सरोगेसी और समाज

अथवा सरोगेसी : संगतियां-विसंगतियां ■ कन्या भ्रूण हत्या अथवा कन्या भ्रूण हत्या : मानव जाति के भविष्य पर प्रश्न चिह्न अथवा भारत में कन्या भ्रूण हत्या की बढ़ती प्रवृत्ति ■ ऑनर किलिंग अथवा कैसे रुक सकती हैं मान रक्षा हत्याएं ■ रैगिंग अथवा रैगिंग के दुष्परिणाम ■ दहेज-प्रथा अथवा भारतीय समाज में विद्यमान दहेज-प्रथा की समस्या अथवा दहेज दानव ■ भारत में वृद्धावस्था की समस्या ■ मलिन बस्ती मुक्त भारत ■ भारत में नगरीकरण अथवा नगरीकरण और उसके खतरे अथवा नगरीकरण एक प्रच्छन्न वरदान है ■ भारत में विकलांगता ■ मानव तस्करी और भारत अथवा मानव व्यापार (ट्रैफिकिंग) और बलात्कार ■ भारत में उपभोक्ता संरक्षण ■ जागो ग्राहक जागो! ■ भारत में मैला ढोने की कुप्रथा ■ गांव बनाम शहर अथवा भारतवर्ष के गांवों के टूटने का कारण ■ आतंकवाद : क्या कर सकता है भारत अथवा भारत में आतंकवाद की समस्या एवं समाधान अथवा आतंकवाद : एक जटिल समस्या अथवा बढ़ता हुआ आतंकवाद अथवा भारत के संदर्भ में आतंकवाद का मुकाबला करने में मानवीय आसूचना एवं तकनीकी आसूचना दोनों ही निर्णायक हैं ■ नक्सली हिंसा और भारत अथवा भारत में नक्सल आंदोलन एवं आतंकवाद : पड़ोसी देशों की भूमिका ■ भारत में सड़क सुरक्षा ■ तम्बाकू निषेध ■ क्या भारत में इच्छामृत्यु को वैध बनाना चाहिए? ■ भारत में मृत्युदण्ड ■ क्या मृत्युदण्ड आतंकवाद का निरोधक हो सकता है?

कला एवं संस्कृति **161-185**

■ यह संस्कृति का समय है/सांस्कृतिक दायित्व/ ■ सांस्कृतिक नवजागरण का समय ■ गंगा-जमुनी संस्कृति ■ नव-संवत्सर ■ भारतीय संस्कृति अथवा हमारी भारतीय सांस्कृतिक विरासत ■ भारतीय संस्कृति में अनेकता में एकता ■ संस्कृति और सभ्यता ■ भारतीय संस्कृति का विदेशों में विस्तार ■ भारत की सांस्कृतिक एकता ■ भारतीय संस्कृति : सबल एवं दुर्बल पक्ष ■ इंडिया बनाम भारत ■ अमृत महोत्सव कुंभ ■ सिनेमा और समाज ■ सिनेमा और साहित्य

व्यक्तित्व **186-206**

■ नवजागरण के प्रतीक युवा विवेकानंद ■ टैगोर का मानवतावाद ■ गाँधी की परिकल्पनाओं का भारत ■ 21वीं सदी में गांधी ■ गांधीजी और स्वच्छता ■ पं. जवाहरलाल नेहरू ■ डॉ. भीमराव अंबेदकर ■ भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ■ लाल बहादुर शास्त्री ■ डॉ. राम मनोहर लोहिया : एक समाजवादी चिंतक ■ लोकनायक जयप्रकाश नारायण ■ इंदिरा गांधी : भारतीय राजनीति की लौह महिला ■ भारत के अनमोल रत्न कलाम

शिक्षा **207-243**

■ शिक्षा क्या है? अथवा वास्तविक शिक्षा क्या है? ■ शिक्षा और सशक्तीकरण ■शिक्षा की चुनौतियां अथवा भारतीय शिक्षा व्यवस्था के समक्ष उपस्थित चुनौतियां ■ शिक्षा और राष्ट्रीय एकता ■ मुक्त शिक्षा (ओपेन एजुकेशन) ■ निजी विश्वविद्यालय अथवा भारत में उच्च शिक्षा का निजीकरण ■ शिक्षा का निजीकरण ■ मातृभाषा और शिक्षा ■ ई-लर्निंग : एक अभिनव पद्धति अथवा कक्षा की अप्रासंगिकता ■ मूल्य शिक्षा और हम ■ शिक्षा और जीवन मूल्य ■ ज्ञान ही शक्ति है ■ शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन ■ सामाजिक बदलाव के वाहक : शिक्षक ■ दक्षता विकास और हमारी शिक्षा व्यवस्था ■ शिक्षा और सामाजिक गतिशीलता अथवा सामाजिक गतिशीलता की आधारशिला है शिक्षा ■ भारत में शिक्षा का मौलिक अधिकार ■ कंप्यूटर शिक्षा का महत्त्व ■ ज्ञान शक्ति के रूप में उभरता भारत ■ यौन शिक्षा की सार्थकता ■ भारत की वर्तमान शिक्षा प्रणाली के गुण-दोष

भाषा और साहित्य **244-278**

■ राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा हिन्दी ■ भारत में राजभाषा की समस्या : अतीत, वर्तमान तथा संभावनाएं ■ भूमंडलीकरण और भारतीय भाषाएं ■ हिन्दी और राष्ट्रीय एकता ■ कंप्यूटर और हिन्दी ■ परंपरा और आधुनिकता ■ हिन्दी काव्य में सत्यम् शिवम् सुन्दरम् ■ समाज की आंखों का विस्तार है साहित्य ■ साहित्य और मीडिया ■ कर्मयोगी कबीर की जीवन दृष्टि ■ छायावाद और रहस्यवाद ■ मेरे प्रिय लेखक - प्रेमचंद ■ प्रेमचन्द की प्रासंगिकता ■ मैथिलीशरण गुप्त का राष्ट्रवाद ■ विश्व मंच पर हिन्दी अथवा क्या हिन्दी विश्व भाषा बनने में सक्षम है? ■ संयुक्त राष्ट्र संघ में हिन्दी की स्वीकार्यता ■ ग्लोबल होती हिन्दी ■ हिन्दी : राष्ट्रभाषा बनाम विश्वभाषा

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी **279-320**

■ विज्ञान और समाज ■ धर्म बनता विज्ञान ■ विज्ञान और धर्म : एक ही सिक्के के दो पहलू अथवा विज्ञान और धर्म के अंतःसंबंध अथवा धर्म या विज्ञान में सामाजिक उन्नति का मुख्य प्रेरक कौन? ■ राष्ट्रीय चेतना में वैज्ञानिक प्रवृत्ति का समावेश अथवा क्या हमारे देशवासियों में वैज्ञानिक चेतना और सोच का अभाव है? ■ भारत में विज्ञान : समग्र अवलोकन *अथवा* क्या हम विज्ञान में पिछड़ रहे हैं? *अथवा* भारत विज्ञान में वैश्विक शक्ति क्यों नहीं? *अथवा* क्या भारत ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यथेष्ट प्रगति कर ली है? *अथवा* राष्ट्र के विकास व सुरक्षा के लिए विज्ञान व प्रौद्योगिकी सर्वोपरि हैं ■ मानव विकास में आकाशीय प्रौद्योगिकी का योगदान अथवा जनकल्याण के कार्यों में सहायक भारत की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी ■ नाभिकीय प्रौद्योगिकी का लाभकारी स्वरूप अथवा नाभिकीय प्रौद्योगिकी के लाभ अथवा ■ नाभिकीय प्रौद्योगिकी के कल्याणकारी उपयोग ■ इंटरनेट : खूबियां और खामियां अथवा वर्तमान परिवेश में इंटरनेट का महत्त्व अथवा इंटरनेट और वर्तमान समाज ■ इंटरनेट और

विश्व गांव की परिकल्पना ■ मोबाइल से बदलती जीवन-शैली ■ परमाणु ऊर्जा से ज्यादा जरूरी है परमाणु सुरक्षा ■ भारत में परमाणु ऊर्जा परियोजनाएं : खतरे और विरोध अथवा कितने सुरक्षित हैं भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र? ■ ब्रेनगेन ■ एलियंस ■ जीवन में शारीरिक स्वास्थ्य का महत्त्व ■ ऊर्जा सुरक्षा एवं दक्षता की चुनौतियां ■ भारत में ई-वेस्ट की समस्या ■ अंगदान अथवा भारत में अंगदान का वर्तमान परिदृश्य ■ जीन संवर्धित फसलें ■ भारत का मिशन मंगलयान ■ वर्तमान परिवेश में मौसम का बदलता मिजाज

अर्थव्यवस्था **321-353**

■ काला धन अथवा बढ़ता काला धन : विकट समस्या अथवा काले धन की समस्या ■ वैश्वीकरण : अर्थ और प्रभाव ■ समावेशी विकास ■ वित्तीय समावेशन अथवा भारत में वित्तीय समावेशन ■ जनसंख्या वृद्धिः अभिशाप या वरदान अथवा जनसंख्या विस्फोट : समस्या एवं समाधान ■ अधिक जनसंख्या वरदान हो सकती है ■ भारत में बेरोजगारी अथवा भारत में बेरोजगारी की समस्या अथवा बेरोजगारी और युवा आक्रोश ■ प्रवासी भारतीय और भारत का विकास अथवा भारत के विकास में सहयोगी प्रवासी भारतीय ■ कुपोषण : कारण और निवारण अथवा कुपोषण ■ मूल्य स्तर में वृद्धि : कारण, प्रभाव और निवारण अथवा मूल्य वृद्धि : कारण और निवारण ■ बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र के उन्नयन में सूचना प्रौद्योगिकी का योगदान अथवा बैंकिंग सहित भारत के वित्तीय क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका ■ कारपोरेट सोशल रिस्पांसबिलिटी (सीएसआर) ■ दान और उद्योग जगत अथवा पारम्परिक भारतीय परोपकारिता से गेट्स-बफेट मॉडल तक- एक सहज प्रगमन या कि एक रूपावली अंतरण अथवा भारत की दान परम्परा और हमारा उद्योग जगत ■ भारत में पर्यटन ■ चिकित्सा पर्यटन और भारत ■ भारत में ग्रामीण पर्यटन

जनसंचार **354-381**

■ मीडिया में स्व-नियमन ■ सोशल मीडिया अथवा सोशल नेटवर्किंग का महत्त्व ■ क्या टी.वी. ईडियट बॉक्स है? अथवा टी. वी. की आधुनिक समाज में प्रासंगिकता अथवा दूरदर्शन से लाभ और हानियां ■ भूमण्डलीकरण के दौर में मीडिया ■ मीडिया और समाज ■ मीडिया और लोकतंत्र अथवा लोकतंत्र में मीडिया का दायित्व ■ ऑनलाइन जर्नलिज्म : मीडिया का बदलता स्वरूप ■ पेड न्यूज ■ लोकतंत्र का पांचवां स्तंभ : जनमत ■ प्रजातंत्र में मीडिया की जिम्मेदारी अथवा सु-शासन में मीडिया की भूमिका ■ बाज़ारवाद और पत्रकारिता ■ हिन्दी का प्रथम समाचार पत्र ■ लोक-सेवा प्रसारण और जन-भागीदारी ■ भारत में सामुदायिक रेडियो ■ सामाजिक सरोकार और आकाशवाणी

पर्यावरण **382-410**

■ पर्यावरण संरक्षण का भारतीय दर्शन ■ टिकाऊ विकास/पोषणीय विकास/धारणीय विकास ■ पर्यावरण और हमारा दायित्व ■ मानव-वन्यजीव संघर्ष ■ उद्योग जगत की पर्यावरण अनुकूल पहलें ■ ग्लोबल वार्मिंग ■ जलवायु परिवर्तन : क्या हैं कारण अथवा जलवायु परिवर्तन के संभावित परिणाम ■ हिमालय के पिघलते ग्लेशियर अथवा हिमालय पर्वत माला पर उमड़ते खतरे के बादल ■ भारत में जल संकट अथवा निरंतर घटता जलस्तर और जल प्रदूषण की समस्याएं ■ भारत में वन्य जीव संरक्षण ■ अर्थ ऑवर ■ बड़े बांधों की सार्थकता ■ वन संरक्षण अथवा जंगल लगाए नहीं, सिर्फ बचाए जा सकते हैं ■ पेयजल का संकट और हम

वैदेशिक **411-435**

■ राष्ट्रमण्डल और भारत ■ दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस) और भारत ■ विश्व शांति की स्थापना के साधन के रूप में संयुक्त राष्ट्र की उपलब्धियां ■ गुटनिरपेक्ष आंदोलन और भारत ■ भारत की विदेश नीति की विशेषताएं ■ भारत की सुरक्षा परिषद में दावेदारी अथवा विश्व शांति के लिए सुरक्षा परिषद का विस्तार ■ भारत और ब्रिक्स ■ हमारा पड़ोसी पाकिस्तान अथवा भारत-पाक के नए रिश्ते ■ भारत और बांग्लादेश संबंध ■ हिमतक्षेस व भारत ■ भारत-आसियान संबंध ■ भारत-चीन संबंध ■ भारत की पूर्वाभिमुख नीति (पूर्व की ओर देखो नीति) ■ भारत की परमाणु नीति

आपदाएं **436-448**

■ बाढ़ अथवा बाढ़ की विभीषिका ■ सूखा अथवा सूखा और उससे भारत में बचाव अथवा भारत में बाढ़ से ज्यादा सूखे के खतरे हैं ■ भूकंप अथवा भूकंप : कारण और परवर्ती प्रभाव अथवा भारत में भूकंप के संभावित खतरे और आवश्यक सावधानियां ■ चक्रवात ■ सूनामी ■ भू-स्खलन ■ भारत में आपदा प्रबंधन

कृषि **449-468**

■ भारतीय कृषि की मुख्य विशेषताएं ■ भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका एवं महत्त्व ■ जैव प्रौद्योगिकी और कृषि ■ अभिनव कृषि तकनीकें ■ भारतीय कृषि के विकास में सूचना प्रौद्योगिकी का योगदान अथवा कृषि और विज्ञान ■ कृषि और राष्ट्रीय ग्रामीण योजनाएं ■ पंचवर्षीय योजनाओं का कृषि प्रगति में योगदान ■ भारत में हरित क्रांतियां ■ भारतीय कृषि की समस्याएं अथवा भारतीय कृषि के समक्ष उपस्थित चुनौतियां अथवा भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याएं ■ भारतीय कृषि : मृदा एवं जल संरक्षण

समझें निबंध की भूमिका

देश की शीर्षस्थ सिविल सेवा मुख्य परीक्षा हो, राज्यों की सिविल सेवा मुख्य परीक्षाएं हों अथवा समय-समय पर सम्पन्न होने वाली अन्य महत्त्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाएं, सभी में निबंध के प्रश्नपत्र को प्रमुखता से सम्मिलित किया जाता है। ऐसा अकारण नहीं है। इसके पीछे एक ठोस वजह है। वस्तुतः निबंध लिखित परीक्षा का वह माध्यम है, जिसके द्वारा साक्षात्कार (Interview) से पूर्व न सिर्फ आपके मस्तिष्क का बारीक परीक्षण (Scan) कर लिया जाता है, बल्कि आपके व्यक्तित्व से जुड़े विविध पहलुओं यथा—चुने गए विषय पर आपका नजरिया एवं पकड़, आपके व्यावहारिक ज्ञान, समझ, चिंतन की गहराई एवं अभिव्यक्ति की क्षमता व सलीके का भी आकलन परीक्षकों द्वारा कर लिया जाता है। निबंध की इस महत्ता को देखते हुए यह आवश्यक है कि परीक्षार्थी यह भलीभांति समझें कि प्रतियोगी परीक्षाओं में निबंध की भूमिका कितनी महत्त्वपूर्ण होती है।

प्रतियोगी परीक्षाओं में निबंध की भूमिका को रेखांकित करने से पूर्व आपको यह अवगत करवाना आवश्यक है कि निबंध है क्या। हिन्दी साहित्य में एक महत्त्वपूर्ण विधा के रूप में निबंध को स्थान दिया गया है। हिन्दी साहित्य में निबंध को उस मौलिक,रम्य एवं विचारपूर्ण रचना के रूप में रेखांकित किया गया है, जिसमें आपकी निजता, मौलिकता एवं व्यक्तित्व की झलक साफ दिखाई दे। मौलिकता, निजीपन एवं लेखन की कसावट निबंध की विशेषताएं मानी गई हैं। अंग्रेजी में निबंध को 'Essay' कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ 'प्रयास' या 'कोशिश' है। इस आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि अच्छा लिखने का प्रयास ही निबंध है।

प्रतियोगी परीक्षाओं में निबंध की महत्त्वपूर्ण भूमिका को इसी से समझा जा सकता है कि परीक्षार्थी की सफलता में निबंध में प्राप्त किए गए अंकों का निर्णायक योगदान होता है। अब आप देश की शीर्षस्थ सिविल सेवा मुख्य परीक्षा को ही लें। वर्ष 1988 में गठित सतीश चंद्रा कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 1993 में सर्वप्रथम सिविल सेवा परीक्षा में निबंध को शामिल किया गया। ध्यातव्य है कि वर्ष 1993 से 2012 तक निबंध प्रश्नपत्र का पूर्णांक 200 था, जिसे वर्ष 2013 से बढ़ाकर 250 कर दिया गया। स्पष्ट है कि इन 250 अंकों में से आपके अच्छे प्राप्तांक निर्णायक सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि सफलता एवं असफलता के निर्धारण में 3-4 अंकों की भूमिका महत्त्वपूर्ण होती है, जिन्हें आप निबंध के प्रश्नपत्र में बेहतर निष्पादन (Performance) से बढ़त के रूप में हासिल कर सकते हैं। कहने का आशय यह कि निबंध को परीक्षार्थी द्वारा पूरी गंभीरता से लेना चाहिए तथा नियमित रूप से इसकी तैयारी उसी तरह से करनी चाहिए, जिस तरह से आप अन्य विषयों की करते हैं।

निबंध की तैयारी में ये व्यावहारिक दिक्कतें अवश्य आती हैं कि निबंध का कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता है। इसका फलक भी बहुत विस्तृत एवं व्यापक होता है। इससे घबराने की जरूरत नहीं है। आप निबंध की नियमित तैयारी करें। इस तैयारी में जहाँ परीक्षा मंथन की उच्च कोटि की निबंध शृंखलाओं की मदद आप ले सकते हैं, वहीं स्तरीय अखबारों, पत्र-पत्रिकाओं, श्रेष्ठ लेखकों की पुस्तकों आदि का नियमित अध्ययन भी आपके लिए सहायक साबित हो सकता है। अपनी बातों को स्थापित करने के लिए आप अद्यतन आंकड़ों का सीमित प्रयोग कर सकते हैं। आंकड़ों की उपलब्धता के लिए समय-समय पर होने वाले सर्वे , तथा विषयानुसार अपने काम के आंकड़ों को संकलित करते रहें। इसी क्रम में सेमिनार एवं परिचर्चाओं आदि में अवश्य हिस्सा लें।

प्रश्नपत्र में पूछे गऐ निबंधों के चयन में विशेष सावधानी बरतें। प्रायः आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक, राजनीतिक, वैदेशिक एवं पर्यावरण-जैवविविधता आदि से संदर्भित निबंध पूछे जाते हैं। अक्सर विषयों को घुमा कर भी पूछा जाता है। ऐसे में यह अत्यंत आवश्यक है कि आप विषय के चयन में सजग, चेतन एवं सतर्क रहें तथा उसी विषय का चयन करें जिसकी आप को गहरी जानकारी हो तथा उस विषय पर आपकी मजबूत पकड़ हो। चुना गया विषय ऐसा हो, जिस पर आप सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक दोनों स्तरों से मजबूत पकड़ (Grip) रखते हों तथा उस विषय को विस्तार देने की शब्द सामर्थ्य एवं क्षमता आपके पास हो। आप उसी विषय को चुनें, जिसके सुविज्ञ हों।

निबंध लिखते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यथा—आपकी भाषा प्रांजल हो तथा शैली सधी हुई हो। निबंध में आपकी निजता, मौलिकता एवं व्यक्तिगत नजरिया परिलक्षित होना चाहिए। आंकड़ों की भरमार इतनी न हो कि निबंध का स्वरूप लेख जैसा हो जाए। निबंध की तारतम्यता एवं निरंतरता पर विशेष ध्यान दें तथा वाक्य-विन्यास सरल और सटीक रखें।

शब्द सीमा का अतिक्रमण न होने पाए, इसके लिए अनर्गल चर्चाओं एवं विषय के भटकाव से बचें। पूर्णतः विषय पर ही केन्द्रित रहकर विषय को विस्तार दें और विषय वस्तु से संदर्भित आंकड़े व तथ्य आदि ही प्रस्तुत करें।

निबंध की शुरुआत बहुत ही प्रभावी ढंग से करें। इसके लिए कथनों, सूक्तियों, उद्धरणों, श्लोकों, कविता की पंक्तियों, शेर आदि का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यदि संस्कृत का श्लोक लिख रहे हैं, तो हिन्दी में उसका रूपान्तरण या भावार्थ अवश्य प्रस्तुत करें। यदि विषय से जुड़ी कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हो तो उसे आप संक्षेप में अवश्य रेखांकित करें, किंतु किस्सा-कहानियों से परहेज रखें। यदि चुना गया विषय, विषय विशेषज्ञों के द्वारा परिभाषित किया गया हो, तो उसकी एक दो परिभाषाएं अवश्य प्रस्तुत करें।

निबंध की आप जितनी बेहतर शुरुआत करेंगे उसका उतना ही सकारात्मक प्रभाव परीक्षक पर पड़ता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि सिर्फ एक अच्छी शुरुआत ही एक अच्छे निबंध के लिए पर्याप्त नहीं होती है। समग्र रूप से अच्छे परिणाम के लिए यह आवश्यक है कि निबंध के मध्य भाग में कसावट बनी रहे तथा निबंध का समापन सारगर्भित हो।

अच्छा परिणाम प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि आप अच्छी राइटिंग में निबंध लिखें तथा भाषा को निर्दोष बनाए रखें। शाब्दिक गलतियां नहीं होनी चाहिए तथा शब्दों का सटीक चयन होना चाहिए। बहुत ही क्लिष्ट एवं प्रचलन से बाहर हो चुके शब्दों तथा देशज शब्दों के प्रयोग से बचें। वाक्यों के दोहराव से बचें, क्योंकि दोहराव को भाषा का अभिशाप माना जाता है। किंतु, परंतु, तथा, और, एवं इत्यादि व अस्तु जैसे शब्दों के प्रयोग में मितव्ययी बनें, क्योंकि इनका आवश्यकता से अधिक प्रयोग भाषा की प्रभावोत्पादकता को कम करता है। शुरू से अंत तक अपने निबंध की संरचना को विशुद्ध एवं प्रासंगिक बनाए रखें तथा इसका समापन संदेशपूर्ण करें।

◆◆◆

● भारत के अनमोल रत्न कलाम ● ड्रग्स फ्री इंडिया ● गंगा योजना बनाम विकास नीति ● अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ● गांधीजी और स्वच्छता ● लोकपाल

भारत के अनमोल रत्न कलाम

''यदि आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हो, तो सूर्य की तरह जलना होगा।'' —**डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम**

यकीनन डॉ. कलाम ने अपने इस कथन को अपने निजी जीवन में चरितार्थ कर दिखाया। सूर्य की तरह जलकर ही वह सूर्य की तरह चमके और इस देश को अपने व्यक्तित्व व कृतित्व से आलोकित कर अमर हो गए। साधारण पृष्ठभूमि में पले-बढ़े कलाम तमाम अभावों से दो-चार होने के बावजूद विपरीत परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए न सिर्फ एक सफल और महान वैज्ञानिक बने, बल्कि देश के सर्वोच्च पद तक भी पहुंचे। वह जीवन की कठिनाइयों के सामने न तो कभी कमजोर पड़े और न ही इनसे घबराए। उनका जीवन दर्शन कितना व्यावहारिक एवं उच्च था, इसका पता उनके इस कथन से चलता है—''इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये जरूरी हैं।'' सच्चे अर्थों में वह एक उच्च कोटि के राष्ट्रनायक थे।

डॉ. कलाम ने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया। 15 अक्टूबर, 1931 को भारत के तमिलनाडु प्रांत के रामेश्वरम में एक गरीब तमिल मुस्लिम परिवार में इस असाधारण प्रतिभा ने जन्म लिया। जन्म के समय शायद ही किसी ने सोचा हो कि यह नन्हा बालक आगे चलकर एक राष्ट्र निर्माता के रूप में भारत को बुलंदी पर ले जाएगा। कलाम के पिता जैनुल आबिदीन पेशे से मछुआरे थे तथा एक धर्मपरायण व्यक्ति थे। उनकी माता आशियम्मा एक साधारण गृहिणी थीं तथा एक दयालु एवं धर्मपरायण महिला थीं। मां-बाप ने अपने इस सबसे छोटे बेटे का नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम रखा। जीवन के अभाव कलाम के प्रारंभिक जीवन से ही जुड़े हुए थे। संयुक्त परिवार था और आय के स्रोत सीमित थे। कलाम के पिता मछुआरों को किराए पर नाव दिया करते थे। इससे जो आय होती थी, उसी से परिवार का भरण-पोषण होता था। विपन्नता के बावजूद माता-पिता ने कलाम को अच्छे संस्कार दिए। कलाम के जीवन पर उनके पिता का बहुत प्रभाव रहा। वे भले ही पढ़े-लिखे नहीं थे, किन्तु उनके दिए संस्कार कलाम के बहुत काम आए।

पांच वर्ष की अवस्था में रामेश्वरम के पंचायत प्राथमिक विद्यालय से उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ की। यहीं उन्हें उनके शिक्षक इयादुराई सोलोमन से एक नेक सीख मिली—''जीवन में सफलता तथा अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए तीव्र इच्छा, आस्था, अपेक्षा इन तीनों शक्तियों को भली-भांति समझ लेना और उन पर प्रभुत्व स्थापित कर लेना चाहिए।'' नन्हें कलाम ने इस सीख को आत्मसात कर आगे का सफर शुरू किया। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा के दौरान जिस प्रतिभा का परिचय दिया, उससे उनके शिक्षक बहुत प्रभावित हुए। प्रारंभिक शिक्षा के दौरान ही अर्थाभाव आड़े आया तो उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखने एवं परिवार की आय को सहारा देने के लिए अखबार बांटने का काम किया। प्रारंभिक शिक्षा के बाद कलाम ने रामनाथपुरम के एक विद्यालय से हाईस्कूल की शिक्षा पूरी की। विज्ञान में उनकी गहरी रूचि शुरू से थी। वर्ष 1950 में उन्होंने तिरुचरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में प्रवेश लिया और वहां से बीएससी की डिग्री प्राप्त की। अपने अध्यापकों की सलाह पर उन्होंने स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए 'मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी', चेन्नई का रुख किया। वहां पर उन्होंने अपने सपनों को आकार देने के लिए एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का चयन किया।

'मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी' से तालीम पूरी करने के बाद एक उदीयमान युवा वैज्ञानिक के रूप में कलाम ने विज्ञान के क्षेत्र में अपने स्वर्णिम सफर की शुरुआत की। वर्ष 1958 में उन्होंने बंगलुरू के सिविल विमानन तकनीकी केन्द्र से अपनी पहली नौकरी की शुरूआत की, जहां उन्होंने अपनी विलक्षण प्रतिभा का परिचय देते हुए एक पराध्वनिक लक्ष्यभेदी विमान का डिजाइन तैयार किया। कलाम के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया, जब वर्ष 1962 'भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन' (इसरो) से जुड़ने का मौका मिला। यहां भी उनके काम की खूब सराहना हुई। इसरो में कलाम ने होबरक्राफ्ट परियोजना पर काम शुरू किया। वे कई उपग्रह प्रक्षेपण परियोजनाओं से गहराई से जुड़े रहे। परियोजना निदेशक के रूप में भारत के प्रथम स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान 'एसएलवी-3' के निर्माण में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 1980 में उन्होंने 'रोहणी उपग्रह' को पृथ्वी की कक्षा के निकट स्थापित करने में केन्द्रीय भूमिका निभाई और इसके साथ ही भारत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बना।

वर्ष 1982 में कलाम को भारत के 'रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन' (डीआरडीओ) का निदेशक नियुक्त किया गया तथा इसी वर्ष मद्रास के 'अन्ना विश्वविद्यालय' ने उन्हें 'डॉक्टर ऑफ साइंस' की मानद उपाधि से विभूषित किया। डॉ. कलाम ने 'अग्नि' और 'पृथ्वी' जैसी मिसाइलों को ईजाद कर भारत की सामरिक शक्ति को बढ़ाया तथा 'मिसाइलमैन' के रूप में देश-देशांतर में प्रख्यात हुए। उनकी वैज्ञानिक उपलब्धियों ने देश को न सिर्फ ताकतवर बनाया, बल्कि विश्वस्तर पर भारत के मान-सम्मान एवं गौरव को भी बढ़ाया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में डॉ. कलाम ने वर्ष 1998 में एक और गैरमामूली कारनामा कर दिखाया। डॉ. कलाम के कुशल नेतृत्व में पोखरण में भारत ने अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया, जिसकी गूंज सारे विश्व में सुनी गई। इसके बाद भारत परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्रों की सूची में शामिल हुआ।

जहां एक वैज्ञानिक के रूप में अपनी उपलब्धियों से डॉ. कलाम ने भारत के गौरव को बढ़ाया, वहीं भारत के राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल सराहनीय रहा। वर्ष 2002 में डॉ. कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। उन्हें भारतीय जनता पार्टी समर्थित एनडीए के घटक दलों ने अपना उम्मीदवार बनाया था। 25 जुलाई, 2002 से 25 जुलाई, 2007 तक वह भारत के राष्ट्रपति रहे। राष्ट्रपति भवन एवं महामहिम के भारी-भरकम प्रोटोकाल से बाहर निकल कर डॉ. कलाम ने एक जनप्रिय राष्ट्रपति के रूप में हिन्दुस्तानियों

के दिलों पर राज किया। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने न सिर्फ समस्त देश को प्रेरणा प्रदान की, अपितु एक उच्चकोटि के राष्ट्रनायक का उदाहरण पेश किया। उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भारतीय राजनीति की दिशा बदलने की हर संभव कोशिश की। वह पहले ऐसे राष्ट्रपति थे, जिन्होंने सांसदों को कर्त्तव्य पथ पर अडिग रहने की शपथ दिलाई। उन्होंने देश को न केवल महाशक्ति बनाने का मूलमंत्र दिया, बल्कि लोगों में यह विश्वास भी जगाया कि भारत वास्तव में उन्नति के शिखर पर पहुंच सकता है। उन्होंने देश भर में घूम-घूम कर असंख्य छात्रों को प्रेरित करने, उनके सपने जगाने और उन्हें पूरा करने का जो मंत्र दिया, उसकी मिसाल मिलनी मुश्किल है। उन्होंने यह भी दिखाया कि अपना काम करते हुए विवादों से कैसे दूर रहा जा सकता है। एक अराजनीतिक व्यक्ति होते हुए भी डॉ. कलाम राजनीतिक दृष्टि से सम्पन्न थे। अपनी इसी दृष्टि के बल पर उन्होंने भारत की कल्याण संबंधी नीतियों का जो खाका खींचा, वह अद्‌भुत है। उनकी सोच राष्ट्रवादी थी। वह एक महान देश हितैषी थे। भारत को एक सबल और सक्षम राष्ट्र बनाना उनका सपना था। अपनी पुस्तक—'इंडिया 2020-ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम' में उन्होंने यह रेखांकित किया है कि भारत को वर्ष 2020 तक एक विकसित देश और ''नालेज सुपरपॉवर' बनाना होगा, ताकि वह दुनिया की प्रथम चार आर्थिक शक्तियों में शुमार हो सके। राष्ट्रपति पद से हटने के बाद वह राष्ट्रीय शिक्षक की भूमिका में थे।

डॉ. कलाम का व्यक्तित्व बहुआयामी था। वह एक महान वैज्ञानिक एवं राष्ट्रनायक ही नहीं थे, बल्कि एक अच्छे कवि, लेखक एवं संगीत साधक भी थे। अपने जीवनकाल में जहां उन्होंने मर्मस्पर्शी कविताओं का सृजन किया, वहीं एक लेखक के रूप में 'इंडिया 2020-ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम', मॉय जर्नी, 'इग्नाइटेड माइंड्स : अनलीशिंग द पॉवर विदिन इंडिया', 'एनविजनिंग अनएम्पावर्ड नेशन : टेक्नोलॉजी फॉर सोसायटल ट्रांसफॉर्मेशन' आदि उनकी चर्चित कृतियां हैं। अरूण तिवारी द्वारा लिखी गई उनकी जीवनी 'विंग्स ऑफ फायर' को पढ़ने के लिए युवा और बच्चे आतुर रहते हैं। एक संगीत साधक के रूप में रूद्रवीणा के वादन में उन्हें महारत हासिल थी। डॉ. कलाम का जीवन सिर्फ वैज्ञानिक प्रयोगों एवं राजनीति तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि सामाजिक जीवन को उच्च स्तर पर लाने के लिए भी वह समर्पित रहे। यही कारण है कि उन्हें अपार लोकप्रियता मिली।

डॉ. कलाम के जीवनकाल में उनकी उपलब्धियों एवं जनसेवा के लिए उन्हें अनेक पुरस्कारों एवं सम्मानों से नवाजा गया। भारत सरकार द्वारा उन्हें वर्ष 1981 में 'पद्‌म भूषण' तथा वर्ष 1990 में 'पद्‌म विभूषण' की उपाधियों से अलंकृत किया गया। वर्ष 1997 में जहां उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' से अलंकृत किया गया, वहीं इसी वर्ष उन्हें राष्ट्रीय एकता के लिए 'इंदिरा गांधी पुरस्कार' से नवाजा गया। उनकी वैज्ञानिक उपलब्धियों के लिए उन्हें अनेकानेक पुरस्कारों से नवाजा गया।

डॉ. कलाम देश के लिए ही जिए और देश के लिए ही मरे। अंत तक एक राष्ट्रीय शिक्षक के रूप में वह हमारे पथप्रदर्शक बने रहे। 27 जुलाई, 2015 को उत्तर-पूर्व के शिलांग में जब इस अनमोल रत्न ने अंतिम सांस ली, तो भी वह अपनी इसी भूमिका में थे। वह वहां के एक शिक्षण संस्थान में 'लिवेबल प्लेनेट अर्थ' विषय पर व्याख्यान देने गए थे। व्याख्यान के दौरान ही उनकी हालत बिगड़ी और 84 वर्ष की अवस्था में भारतवासियों को 'उम्मीद' शब्द का एक नया अर्थ देने वाला यह महान राष्ट्रनायक अलविदा हो गया।

विज्ञान डॉ. कलाम की बुनियाद थी, जबकि उनके चिंतन में शिक्षा, दर्शन और आधुनिकता की अद्‌भुत त्रिवेणी थी। वह दिमाग से वैज्ञानिक थे तथा दिल से दार्शनिक थे। उनकी आंखों में विकसित भारत का सपना था। उनकी सबसे बड़ी खूबी यह थी कि उन्होंने मूल्यों और मानवता को विज्ञान से जोड़ने का अद्‌भुत काम किया। आज कलाम साहब हमारे बीच भले ही नहीं हैं, किन्तु वह देश के नन्हें-मुन्नों की चमकती आंखों, युवकों की आंखों में झिलमिलाते सपनों और बुजुर्गों की उम्मीदों में सदा अमर रहेंगे। हम उनके सपनों का भारत बनाकर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं।

ड्रग्स फ्री इंडिया

(□□□□□ □□□□ □□□□□)

ड्रग्स के सेवन से नशे की लत को पूरा करना भारत की एक प्रमुख एवं व्यापक समस्या है। इस समस्या से जहाँ परिवार विघटित होता है, वहीं समाज संक्रमित होता है, तो राष्ट्र कमजोर होता है। यह मात्र एक सामाजिक समस्या ही नहीं है, अपितु चिकित्सकीय एवं मनोवैज्ञानिक समस्या भी है। एक ऐसा दलदल है, जिसमें धंसने वाला खुद तो तबाह होता ही है, साथ ही उसका पूरा परिवार भी तबाह होता है। ड्रग्स के दुष्प्रभाव सिर्फ उस व्यक्ति को तबाह नहीं करते, जो इसके आदी होते हैं, बल्कि ये परिवार, समाज और राष्ट्र को भी जर्जर करते हैं। यही कारण है कि राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए उसे ड्रग्स से मुक्त रखना अनिवार्य है। ड्रग्स का सेवन यानी नशाखोरी की देन थ्रीडी बुराइयां हैं। पहली 'डार्कनेस' यानी जीवन में अंधेरा, दूसरी 'डिस्ट्रक्शन' यानी बर्बादी के मोड़ पर पहुँचना तथा तीसरी 'डिवास्टेशन' यानी सम्पूर्ण रुप से तबाही। ड्रग्स की बुराइयों एवं दुष्प्रभावों से परिवार, समाज एवं राष्ट्र को बचाने के लिए ही हमने 'ड्रग्स फ्री इंडिया' का सपना देखा है और इस सपने को साकार करने के लिए मजबूत पहल शुरु हो चुकी है। स्वयं देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 'ड्रग्स फ्री इंडिया' का आह्‌वान कर अपने मन की बात देशवासियों से साझा की है।

सामान्य अर्थों में ड्रग्स से आशय उन रासायनिक पदार्थों से है, जिन्हें लेने से मस्तिष्क पर उसकी रासायनिक प्रतिक्रिया होती है तथा शरीर और मन के सामान्य कार्यकलापों पर प्रभाव पड़ता है। ड्रग्स का सामान्य अर्थ दवा या औषधि भले ही है, लेकिन सामाजिक विज्ञानों में यह शब्द उन मादक द्रव्यों के लिए प्रयुक्त होता है, जिनका सेवन गैरकानूनी माना जाता है। इन पदार्थों का अधिक मात्रा में बार-बार सेवन किए जाने से जब व्यक्ति के शारीरिक तथा मानसिक कार्यकलापों पर हानिकारक प्रभाव पड़ने लगता है, तो यह अवस्था 'ड्रग अब्यूस' या 'ड्रग एडिक्शन' कहलाती है। विडंबना यह है कि इस अवस्था में पहुंचने वाला कोई भी व्यक्ति प्रायः सामान्य जीवन जीने लायक नहीं रह पाता। वह स्वयं को शारीरिक मानसिक एवं आर्थिक स्तरों पर तबाह कर लेता है। यह एक ऐसी अंधी सुरंग है, जो बर्बादी के मुहाने तक ले जाती है।

भारत में ड्रग्स की समस्या का फैलाव छोटे-छोटे गांवों और कस्बों से लेकर महानगरों तक में है। यह कहना असंगत न होगा कि

समूचा देश इस समस्या से आच्छादित है। यह समस्या किसी वर्ग विशेष से भी जुड़ी नहीं है। गरीब मध्यम एवं आभिजात्य सभी वर्गों में ड्रग्स का चलन है। किसी के लिए यह मौजमस्ती का साधन एवं स्टेटस सिंबल का प्रतीक है, तो किसी के लिए थकान मिटाने का। कोई असफलता और हताशा को मिटाने के लिए ड्रग्स की ओर उन्मुख होता है। तुलनात्मक दृष्टि से देखें, तो युवा वर्ग ड्रग्स की गिरफ्त में कुछ ज्यादा हैं।

युवा वर्ग ड्रग्स की अंधेरी गली में कई कारणों से प्रवेश करता है। कभी इसका कारण जीवन का एकाकीपन होता है, तो कभी भावनात्मक असुरक्षा अथवा माता-पिता से मिलने वाले प्यार में कमी। घरेलू कलह, जीवन की असफलताएं, विभिन्न कारणों से मिलने वाला तनाव, गलत संगत, एक अनूठे आनंद की अनुभूति की ललक, पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव, समस्याओं से निजात की क्षणिक अनुभूति, मित्रों का दबाव या दुष्प्रेरणा आदि वे मुख्य कारण हैं, जो युवकों तथा कभी-कभी अल्पवयस्कों तक को नशे का आदी बना देते हैं। इसक अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैले ड्रग्स माफिया के संजाल में सम्मिलित लोग भी अपना धंधा चमकाने के लिए युवकों को गुमराह कर ड्रग्स का व्यसनी बनाते हैं।

ड्रग्स के व्यसन के अनेक दुष्परिणाम सामने आते हैं। इन्हें व्यसनी खुद तो भुगतता ही है, उसका परिवार भी बर्बाद होता है। समाज और राष्ट्र भी प्रतिकूल रुप से प्रभावित होता है। ड्रग्स का दलदल इतना खतरनाक होता है कि इस दलदल में फंसने वाला व्यक्ति कहीं का नहीं रहता है। वह शारीरिक, आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक स्तरों पर तबाह हो जाता है। एक बार ड्रग्स का व्यसनी होने पर यह लत छूटती नहीं और इस लत का शिकार व्यक्ति जब आर्थिक रुप से खोखला हो जाता है, तब नशे की लत को पूरा करने लिए चोरी-छिनैती जैसे अपराध करता है। ऐसा भी देखा गया है कि नशे की अवस्था में पहुँचने के बाद व्यसनी हत्या और बलात्कार जैसे जघन्य अपराध तक कर डालते हैं। वे अनेक प्रकार की शारीरिक व्याधियों के शिकार भी बन जाते हैं। इनमें प्रमुख व्याधियां होती हैं—रक्तचाप में गड़बड़ी, विक्षिप्तता, पागलपन, मोतियाबिंद, अवसाद, तनाव, मनोव्यथाएं, नपुंसकता तथा श्वास संबंधी बीमारियां। अधिक अवसाद की अवस्था में व्यसनी को आत्महत्या की ओर उन्मुख होते भी देखा गया है। ड्रग्स के व्यसनी को 3 डी बुराइयां कहीं का नहीं छोड़ती। डार्कनेस (जीवन का अंधियारा), डिस्ट्रक्शन (बर्बादी) एवं डिवास्टेशन (तबाही) उसे खोखला कर देती हैं।

ड्रग्स का एक घातक पक्ष यह भी है कि इससे प्राप्त होना वाला पैसा उन आतंकवादियों के पास पहुंचता है, जो खूंरेजी में आगे हैं तथा अशांति एवं अस्थिरता फैलाने के लिए आतंकवाद का सहारा लेते हैं। यहाँ यह रेखांकित करना आवश्यक है कि संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार विगत वर्षों में पाकिस्तान विश्व में हेरोइन, ब्राउन शुगर, स्मैक एवं हशीश के सबसे बड़े उत्पादक व वितरक के रुप में विकसित हुआ है। पाकिस्तान में राजनेता से लेकर बड़े-बड़े फौजी अधिकारी भी ड्रग्स की तस्करी में सहयोग देते हैं। यह किसी से छिपा नहीं है कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ाने एवं आतंकवादियों को प्रश्रय देने में किस कदर आगे है। यह कहना असंगत न होगा कि आतंकवादी जो गोलियां दागते हैं, वे ड्रग्स के पैसे से ही खरीदी जाती हैं। इस प्रकार ड्रग्स के व्यसनी परोक्ष रुप से आतंकवादियों तक पहुंचता है, जिससे खरीदे गए अस्त्र-शस्त्रों से वे खून की होली खेलते हैं।

हमारी सरकार ड्रग्स की समस्या को रोकने के लिए कानूनी स्तर पर प्रयासरत रही है। संविधान के अनुच्छेद 47 के अनुसार चिकित्सकीय प्रयोग के अतिरिक्त स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद मादक पदार्थों व वस्तुओं के उपयोग को निषिद्ध करने कि लिए वर्ष 1985 में नशीली दवाएं एवं मनोविकारी पदार्थ कानून (ND PS Act) लागू करने के साथ ही मादक पदार्थों का सेवन करने वालों की पहचान, इलाज, शिक्षा, बीमारी के बाद देख-रेख, पुनर्वास व समाज में पुनर्स्थापना के लिए प्रयास किए गए, तथापि इनके सकारात्मक परिणाम प्राप्त नहीं हुए। ड्रग्स की समस्या धीरे-धीरे विकराल होती चली गई।

वस्तुतः ड्रग्स की समस्या एक ऐसी समस्या है, जिसे सिर्फ कानून बनाकर नहीं निपटा जा सकता है। यह एक ऐसी समस्या है, जिसके निवारण के लिए विधिक प्रयासों के साथ-साथ पारिवारिक एवं सामाजिक स्तर पर भी प्रयासों की जरुरत है। परिवार में माता-पिता का यह दायित्व बनता है कि वे अपने बच्चों को भटकाव और भ्रम से बचाने के लिए उन्हें ध्येयवादी बनाएं। ध्येय की तरफ बढ़ने में बच्चों की भरपूर मदद करें। ऐसा इसलिए आवश्यक है, क्योंकि जब जीवन का कोई लक्ष्य या ध्येय नहीं होता है, तो जीवन में एक प्रकार की रिक्तता आ जाती है। इस अवस्था में जीवन में ड्रग्स का प्रवेश आसान हो जाता है। ध्येय को सामने रखकर आगे बढ़ने वाले बच्चे भटकाव का शिकार नहीं होते हैं। अभिभावकों का यह दायित्व बनता है कि वे जीवन की भागदौड़ में से समय निकालें और अपना यह समय बच्चों को दें। बच्चों के साथ बैठकर सिर्फ उनकी लौकिक प्रगति पर ही चर्चा न करें, अपितु उनके मन में भी झांकें। उन्हें भरपूर भावनात्मक संरक्षण तो प्रदान करें हीं, उनकी गतिविधियों, साथ-संग पर भी नजर रखें। यदि बच्चे में कोई बदलाव दिख रहा हो, तो उसकी परख करें। ऐसा करके अभिभावक शुरु में ही बच्चे को ड्रग्स के दलदल की तरफ बढ़ने से रोक सकते हैं।

ड्रग्स की समस्या के निवारण में समाज की भी भूमिका निर्णायक हो सकती है। समाज के जिम्मेदार लोगों का यह दायित्व बनता है कि वे ड्रग्स के व्यसनियों को उपेक्षित न करें और न ही उन्हें समाज से बहिष्कृत करें। ऐसे लोग सहानुभूति के पात्र होते हैं, अतः सहानुभूतिपूर्वक उनमें बदलाव लाने तथा उन्हें सही मार्ग पर लाने की चेष्टा करें। खेल, शिक्षा, संस्कृति, धर्म, मीडिया, राजनीति एवं अन्य क्षेत्रों से जुड़े गणमान्य लोगों का यह दायित्व बनता है कि वे इस संदर्भ में जनजागृति लाने का काम करें। लोगों को ड्रग्स की बुराइयों से बचने का संदेश दें। इससे एक सकारात्मक वातावरण तैयार होगा, जो समस्या पर अंकुश लगाने में सहायक सिद्ध होगा।

'ड्रग्स फ्री इंडिया' के स्वप्न को साकार करने के लिए आज समग्र प्रयासों की आवश्यकता है। व्यक्ति को स्वयं, उसके परिवार, यार दोस्तों, समाज, सरकार और कानून सभी को मिलकर इस दिशा में काम करना होगा। किसी भी व्यक्ति को नशे की लत से बाहर लाना असंभव नही है। यह थोड़ा मुश्किल जरुर है। यदि समग्र प्रयास किए जाएं तो यह काम आसान हो सकता है। हमारे समक्ष ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जिनसे पता चलता है कि व्यसनी नशे की लत से बाहर आए और उन्होंने एक अच्छा नागरिक बन कर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दिया। यकीनन एक मजबूत भारत के लिए एक आवश्यक है कि हम भारत को ड्रग्स मुक्त देश बनाएं। यह पहल शुरु भी हो चुकी है। नई सुबह करीब है।

गंगा योजना बनाम विकास नीति

गंगा सफाई कार्य योजना एवं नमामि गंगे जैसी गंगा निर्मलीकरण की पहलों के अपेक्षित परिणाम क्यों नहीं मिल रहे हैं, क्या हमारी अनियोजित एवं अनियंत्रित विकास नीतियां गंगा सफाई के मार्ग में बाधक बनी हैं, जिनके चलते गंगा सफाई एवं विकास के मध्य द्वंद्व बढ़ा है। यदि विकास नीतियां गंगा सफाई में बाधक बनी हैं तो क्यों, क्या है इस समस्या का समाधान तथा क्या करना होगा, आदि बिन्दुओं को इस निबंध में चर्चा का विषय बनाया गया है।

गंगा योजना बनाम विकास नीति के द्वंद्व को समझने से पूर्व यह जान लेना उचित होगा कि गंगा है क्या और भारतीय जनमानस में गंगा की स्थिति क्या है। गंगा भारत के सीमा क्षेत्र के भीतर बहने वाली सबसे बड़ी नदी भर नहीं है, अपितु यह तो भारतवासियों की जनास्था का केन्द्रबिन्दु है। अपार विस्तार वाली गंगा अपने उद्गम से मुहाने तक अनेकानेक तीर्थों का सृजन करती है, मृतात्माओं को तारती है, तो अपनी जलराशि से असंख्य लोगों को तृप्त करती है, इसके जल से फसलें लहलहाती हैं, इसीलिए यह अन्न के अक्षय भंडार की अन्नपूर्णा भी है। लोकमंगल के प्रति सदैव समर्पित रहने वाली गंगा भारतीय कृषि संस्कृति की प्राण हैं, तो भारतवासियों के लिए मूल्यचेतना। सारतः हम यह कह सकते हैं कि हमारे देश में गंगा में एक बड़ा समाजशास्त्रीय अर्थ निहित है।

इसे विडंबना ही कहेंगे कि जो गंगा कभी अपनी अमृततुल्य जल धाराओं के लिए जानी जाती थी, आज वह गंदगी का पर्याय बन चुकी है। गंगा में बढ़ते प्रदूषण एवं गंदगी के कारण अब गंगा का जल आचमन के काबिल नहीं रहा। गंगा को गंदगी से उबारने के लिए ही गंगा सफाई की आवश्यकता महसूस की गई। सर्वप्रथम इस दिशा में हमारे स्व. प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने ध्यान दिया और उन्हीं की पहल पर वर्ष 1986 में पाँच सौ करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि से देश में गंगा सफाई कार्य योजना की शुरुआत की गई। गंगा सफाई कार्य योजना में विश्व बैंक ने भी आर्थिक मदद की। गंगा सफाई कार्य योजना से शुरु हुआ गंगा की कायाकल्प का सफर अब 'नमामि गंगे' तक पहुँच चुका है, किंतु गंगा की स्थिति इस दौरान बद-से-बदतर ही हुई है। गंगा गंदगी से कराह रही है।

यह एक यक्ष प्रश्न है कि आज भी गंगा मैली क्यों बनी हुई है? वर्ष 1986 से अब तक गंगा की सफाई के लिए पैसा पानी से भी तेज बहाया गया, वैचारिक मंथन भी खूब हुए और सुचिंतित व व्यापक परियोजनओं के दायरे में गंगा सफाई को लाया गया, तथापि गंगा न तो साफ हुई, न ही संरक्षित। गंगा न तो निर्मल ही बन पाई और न ही अविरल। गंगा की सफाई पर यह कहावत सटीक बैठती है कि मर्ज बढ़ता गया, ज्यों-ज्यों दवा की। ऐसे में गंगा सफाई योजना को लेकर यह प्रश्न उठना स्वाभविक है कि क्या हमारी विकास नीतियां गंगा सफाई में आड़े आ रही हैं?

यह कहना असंगत न होगा कि गंगा सफाई योजना की शुरुआत से लेकर अब तक गंगा योजना बनाम विकास नीतियों का द्वंद्व बढ़ा है। सच तो यह है कि यदि हमने विकास योजनाओं की पर्यावरण के अनुकूल बनाया होता, तो गंगा की यह दुर्दशा ही न होती। यह दुखद है कि हमने विकास के नाम पर ऐसी अनियंत्रित एवं अनियोजित नीतियां अपनाईं, जिसमें स्पष्ट रुप से पर्यावरणीय हितों की अनदेखी की गई। अनियोजित एवं अनियंत्रित विकास योजनाओं के नाम पर हमने एक पवित्र एवं जीवनदायिनी नदी को कूड़ा-कचरा विसर्जित किए जाने की स्थली बना दिया। विकास के नाम पर अनियंत्रित-अनियोजित औद्योगीकरण एवं नगरीकरण को बढ़ावा दिया गया, जिससे बढ़े हुए प्रदूषण की मार गंगा ही नहीं अपितु इसकी अनेक सहायक नदियों एवं देश की अन्य नदियों पर भी पड़ी। इस प्रकार गंगा का संकट दिनों दिन गहराता गया। विकास की अंधी दौड़ में हमने गंगा को विस्मृत कर दिया।

सच तो यह है कि हमारे नीति नियंताओं ने विकास का जो ढांचा तैयार किया, वह पूर्णतः प्रकृति-विनाश पर खड़ा है। इसने सिर्फ गंगा को ही मैला नहीं बनाया, बल्कि वनों एवं पर्वतों को भी बड़ी बेदर्दी से उजाड़ा। फलतः चौतरफा संकट गहराया। पर्यावरण क्षरण के कारण गंगा के ग्लेशियर कमजोर पड़े और इनके सिकुड़ने-सिमटने से भी गंगा का संकट बढ़ा। यह एक ऐसा संकट है, जो गंगा की अस्तित्व पर ही भारी पड़ सकता है। आधुनिकता एवं प्रगति के दंभ में हम गंगा के इस संकट को बराबर नजरंदाज करते रहे। स्पष्ट है कि हम गंगा के लिए वह माता-भाव पैदा नहीं कर सके, जिसके चलते हम पुण्यतोया को 'गंगा मइया' कह कर संबोधित करते हैं।

हम विकास को तेज हवा देने में तो जुटे रहे, किंतु औद्योगिक एवं शहरी कूड़े-कचरे के निस्तारण और प्रबंधन की समुचित व्यवस्था करने में असफल रहे। इस असफलता का खामियाजा गंगा को भुगतना पड़ा। अनेक शहरों का औद्योगिक एवं शहरी कचरा सीधे-सीधे गंगा में प्रवाहित करने से हमने तनिक भी गुरेज नहीं किया। स्थिति इस हद तक बिगड़ी कि आधुनिकता एवं महानगरीय सभ्यता-संस्कृति का मैलापन गंगा के अस्तित्व पर ही भारी पड़ने लगा, जिसके चलते गंगा की पहचान गुम हो चली। घरों में गंगाजली में रखा जाने वाला जो गंगा जल वर्षों तक संदूषित नहीं होता था, उसे हमने क्रोमियम जैसे घातक रसायनों से इतना अधिक संदूषित एवं विषाक्त बना दिया कि वह आचमन योग्य भी न रह गया। प्रदूषण बढ़ने से गंगा की तलहटी में गाद बढ़ने से जहाँ नई तरह की समस्याएं उत्पन्न हुईं, वही जलीय जीवन की प्रतिकूल रुप से प्रभावित हुआ।

अनियंत्रित एवं अनियोजित विकास नीतियों के कारण हमने गंगा को कलुषित तो बनाया ही, इसे अविरल भी नहीं रहने दिया। विकास के नाम पर बनाए जाने वाले बांधों ने भी गंगा को बहुत क्षति पहुंचाई है। इस रुप में भी हमने गंगा के प्रवाह को रोककर उसके अस्तित्व से खिलवाड़ किया। विकास के जिन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ये बांध बांधे गए, वे भी पूरे नहीं हुए। इसे हम उत्तराखंड के टिहरी बांध के उदाहरण से समझ सकते हैं। बिजली पैदा करने के लिए टिहरी बांध बनाकर गंगा के प्रवाह का रोका गया, किंतु यह निर्धारित लक्ष्य की एक चौथाई बिजली भी पैदा न कर पाया। इसके कुछ और भी दुष्परिणाम सामने आए। मसलन, गंगा का प्रवाह गड़बड़ाया, तो बांध के आस-पास के सैकड़ों गांवों में गंभीर जल संकट उत्पन्न हुआ। जिन ग्रामीणों के हितों को ध्यान में रखकर यह बांध बनाया गया, उन्हें ही अपना घर-बार छोड़कर मैदानी क्षेत्रों में पलायन करना पड़ा। स्वाभविक-सा प्रश्न है कि ऐसा विकास किस काम का, जो न तो प्रकृति का ही भला कर सके औन न ही मनुष्य का?

अब वह समय आ गया है कि हम गंगा की सफाई को लेकर अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाएं तथा इस बात की तह में जाएं कि क्यों गंगा सफाई कार्य योजना या नमामि गंगे जैसी कवायदों के अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आ रहे हैं, जबकि इनमें व्यापक निवेश

किया जा रहा है। वस्तुतः गंगा सफाई के अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम हमें गंगा सफाई एवं विकास नीतियों के बीच के उस द्वंद्व को समाप्त करना होगा, जिसके कारण विरोधाभास की स्थिति बनी हुई है। एक तरफ तो हम गंगा सफाई पर पैसा पानी से भी तेज बहा रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारी विकास नीतियां ऐसी हैं, जो गंगा के प्राण लेने पर तुली हैं। हमारी अनियंत्रित-अनियोजित विकास नीतियों के कारण ही गंगा का संकट गहराया है, जिसकी तरफ हमने कभी ध्यान नहीं दिया।

गंगा सफाई के अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिए अब यह आवश्यक हो चुका है कि विकास की जो भी पहलें हों, वे पर्यावरण के अनुकूल हों, साथ ही इनके क्रियान्वयन में पर्यावरण से जुड़े नियम-कायदों का पालन न सिर्फ कड़ाई से किया जाना सुनिश्चित किया जाए, बल्कि इनके उल्लंघन पर कठोर दंड की व्यवस्था भी की जाए। विकास योजनाएं बनाते समय इनसे होने वाले प्रदूषण के निस्तारण के समुचित बन्दोबस्त किए जाएं। औद्योगिक प्रदूषण का निपटान इस प्रकार हो कि ये नदी तक किसी भी रुप में न पहुंच पाएं। नगरीय विस्तार को भी सुरक्षित बनाते हुए ऐसे उपाय सुनिश्चित करने होंगे कि गंदे नाले नदियों से न मिलें। विकास के नाम पर गंगा के प्रवाह से की जा रही छेड़-छाड़ को भी रोकना होगा ताकि गंगा का प्राकृतिक प्रवाह बाधित न हो। ये प्रयास पूरी ईमानदारी एवं पारदर्शिता से इस प्रकार होने चाहिए कि इनमें भ्रष्टाचार की तनिक भी गुंजाइश न रहे। इसके लिए एक सशक्त निगरानी तंत्र को विकसित किया जाना भी अत्यंत आवश्यक है।

गंगा भारतवासियों की मूल्यचेतना है। यह वह रस-धारा है, जो हिमालय से फूटकर असंख्य भारतवासियों को तृप्त करती है। गंगा तो लोक हृदय की भाव-भूमि का पवित्र विस्तार है। इसकी यात्रा इस देश के सामूहिक मन की अंतर्यात्रा जैसी है। हमें इस संकल्प के साथ देश की भौगोलिक, भावनात्मक, सांस्कृतिक एवं मिथकीय एकता को आधार देने वाली गंगा को विकास की मार से बचाना होगा कि जल ही ब्रह्म है और रस ही जीवन है।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

(□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□)

योग की महिमा को रेखांकित करते हुए भृतहरि अपने ग्रंथ 'वाक्यपदीय' के प्रारंभ में यह श्लोक प्रस्तुत करते हैं—

योगेन चित्तस्य पदेन वाचां, मलं शरीररस्य च वैद्यकेन।

योडपाकरोत् तं प्रवरं मुनीनां पतंजलि प्रांजलिरानलोडस्मि॥

अर्थात—योग से चित्त का, पद (व्याकरण से वाणी का एवं वैद्यक से शरीर का मल जिन्होंने दूर किया, उन मुनि श्रेष्ठ पतंजलि को मैं अंजलिबद्ध होकर नमस्कार करता हूँ। स्पष्ट है कि योग मानव के उत्कर्ष का वह माध्यम है, जिसे भारत ने विश्व को सौंपा।

सुखद है कि योग सभी मानव के उत्कर्ष का जो माध्यम भारतीय मनस्वियों ने विश्व को सौंपा, उसकी सुरभि से आधुनिक विश्व के सुरभित होने की शुरुआत हो चुकी है। भारतीय मनीषा, दर्शन एवं प्राचीन परम्परा के लिए वह एक असाधारण क्षण था, जब 11 दिसंबर,2014 को संयुक्त राष्ट्र जनरल असेम्बली द्वारा 21 जून को प्रतिवर्ष अतंर्राष्ट्रीय योग दिवस (International Yoga Day) के रुप में मनाए जाने की घोषणा की गई। इसका काफी कुछ श्रेय भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को जाता है, जिन्होंने 27 सितंबर, 2014 को संयुक्त राष्ट्र जनरल असेम्बली (United Nation General Assembly) में दिए गए अपने भाषण में वैश्विक स्तर पर 'योग दिवस' मनाए जाने की जबरदस्त पैरोकारी करते हुए यह कहा था कि योग भारत की पुरातन परम्परा की एक अमूल्य भेंट है। यह मन और शरीर, विचार और कार्य, संयम और मानसिक आनंद के बीच एकरुपता लाने वाली सौगात तो है ही, मनुष्य और प्रकृति के मध्य अनुकूलन को भी बढ़ाती है। स्वास्थ्य एवं समृद्धि के लिए योग को हितकर बताते हुए उन्होंने अपने उद्बोधन में यह भी कहा था कि योग की मदद से हम जलवायु परिवर्तन जैसे खतरे से भी निपट सकते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहल रंग लाई और 27 सितंबर, 2014 के उनके उद्बोधन के के बाद ही 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को 'अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस' घोषित किया गया। संयुक्त राष्ट्र के इस कदम की वैश्विक स्तर पर खूब सराहना भी हुई।

जिस समय विश्व के अनेक राष्ट्र सभ्यता का 'क,ख,ग' सीख रहे थे, उस समय विश्व गुरु के रुप में सुसभ्य एवं सुसंस्कृत भारत की वैजयंती समूचे विश्व में लहरा रही थी। इसी भारत के तपस्वियों ने विश्व कल्याण के लिए योग जैसी अमूल्य भेंट विश्व को दी। लगभग 6000 से भी अधिक वर्षों पूर्व भारत में योग का उद्गम हुआ और हमने इसे अपनी शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक उन्नति के लिए अपनाया। योग के आदि गुरु जहां भगवान शिव माने जाते हैं, वहीं द्वापर में योग के कल्याणकारी स्वरुप को रेखांकित करने के कारण श्रीकृष्ण 'योगेश्वर' कहलाए।

योग का अर्थ अत्यंत व्यापक एवं इसका फलक बहुत विस्तृत है। श्रीमद्भगवद् गीता में योगेश्वर श्रीकृष्ण ने योग के विभिन्न रुपों की चर्चा करते हुए यह प्रतिपादित किया कि योग तो जीवन की परेशानियों का समाधान है। इसीलिए वह मोहग्रस्त अर्जुन को योग की शरण में जाने का उपदेश देते हैं। योग की सार्थकता एवं इसकी महत्ता का पता इसी से चलता है कि श्रीमद्भगवद्गीता में योगेश्वर श्रीकृष्ण ने अपने उपदेशों में 100 से अधिक बार 'योग' शब्द का प्रयोग किया। बहुधा 'योग' की समझ रखने वाले पश्चिमी देशों में 'योग' को लेकर जो धारणा बनाई गई, उसके अनुसार योग को शारीरिक क्रियाओं एवं मुद्राओं से जोड़कर देखा जाता रहा है। यह धारणा योग के वास्तविक अर्थ के विपरीत है। योग का अर्थ एवं स्वरुप अत्यंत व्यापक है। यह तो वह अनुशासन है, जो कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। योग का संबंध तो आत्मा और परमात्मा के योग या एकत्व एवं परमात्मा को प्राप्त करने के नियमों एवं उपायों से है।

भारत की प्राचीन परम्परा के अनुसार दर्शन के दो विभाग हैं— 1. वैदिक एवं 2. अवैदिक। योग वैदिक दर्शन के अंतर्गत आता है। भारतीय वैदिक दर्शन के छह घटकों में से योग भी एक है। भारतीय दर्शन के छह घटकों—न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा एवं वेदान्त में से 'योग' का विशेष महत्व है, क्योंकि भारतीय मान्यताओं एवं परम्पराओं के अनुसार जीवन को कृतार्थ बनाने के लिए मनुष्य को जीवन में क्षण-प्रतिक्षण योग का आधार लेना ही पड़ता है। योग का एकमेव ध्येय चित्तवृत्ति-निरोध की अवस्था को प्राप्त करना है। यानी मनुष्य के मन को विषयों की ओर होने वाली दौड़ को रोक कर उसको पूर्णतः अंतर्मुख करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के दौरान साधक के सन्मुख उपस्थित होनी वाली आपत्तियां मन के बाहरी ओर

प्रवृत्ति क्यों होती हैं, आदि विषयों के स्पष्टीकरण के लिए जीव और जगत का सत्य स्वरुप, ईश्वर का स्वरुप आदि विषयों का विवेचन आवश्यक होने के कारण उनका समावेश योगदर्शन में किया गया है।

महर्षि पतंजलि को योगदर्शन को व्यवस्थित स्वरुप देने का श्रेय जाता है। उनके द्वारा सृजित 'योगसूत्र' योगदर्शन का मूल ग्रंथ है, जिसमें उन्होंने योग को चित्त की वृत्तियों के निरोध के रुप में परिभाषित किया है। 'योगसूत्र' न तो कोई धार्मिक ग्रंथ है और न ही यह किसी देवी-देवता पर आधारित है। यह शारीरिक योग मुद्राओं का शास्त्र भी नहीं है। इसमें चित्तवृत्ति निरोध को मन की परमावधि एकाग्रता के रुप में रेखांकित किया गया है, जो कि योग दर्शन का प्रमुख उद्देश्य भी है।

पतंजलि का योगसूत्र 'अष्टांगयोग' के नाम से भी जाना जाता है। यह नाम इसके आठ अंगों के नाम पर पड़ा। ये आठ अंग हैं— यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि। ये आठ अंग लौकिक एवं अलौकिक लाभ का पथ प्रशस्त करते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह ये पांच यम होते हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय एवं ईश्वर प्राणिधान, ये पांच नियम हैं। यम का सार्वभौमिक महत्व है, क्योंकि इनके आचरण के लिए देशकाल या परिस्थितियों का कोई बंधन नहीं होता है। ये तो वे पांच महाव्रत हैं, जो कि मनुष्य और समाज दोनों का कल्याण करते हैं। जीवन को विकास के पथ पर ले जाते हैं, तो सामाजिक शुचिता को भी बनाए रखते हैं। यह एक स्वाभाविक-सी बात है कि यमों का पालन न करने वाला अर्थात हिंसक, असत्यभाषी, चोर, कामासक्त एवं अत्यंत लोभी मनुष्य सदैव सामाजिक स्वास्थ्य के लिए घातक सिद्ध होता है। स्पष्ट है कि यमों के पालन से एक सुसंस्कृत, सभ्य, परिष्कृत एवं कल्याणकारी समाज का निर्माण होता है।

शौच आदि नियम वैयक्तिक विकास का पथ प्रशस्त करते हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय तथा ईश्वर प्राणिधान इन पांच नियमों की अवज्ञा करने वाला अर्थात मलिन, असंतुष्ट, उच्छृंखल, अनभ्यासी एवं नास्तिक मनुष्य भले ही प्रत्यक्षतः समाज को पथभ्रष्ट या अस्त-व्यस्त नहीं करता है, किंतु वह प्रत्यक्ष रुप से अपने जीवन को नष्ट कर लेता है। ऐसा नहीं है कि समाज पूर्णतः अप्रभावित रह जाता है। वस्तुतः अस्वच्छता और असंतुष्टता के कारण समाज न सिर्फ प्रतिकूल रुप से प्रभावित होता है, बल्कि अव्यवस्थित भी होता है, किंतु सर्वाधिक प्रभावित व्यक्तिगत जीवन होता है, जो कि अप्रत्यक्ष रुप से समाज पर भी प्रभाव डालता है। इस तरह हम देखते हैं कि यम और नियम दोनों व्यक्तिगत एवं सामजिक स्तरों पर विशेष रुप से महत्वपूर्ण हैं।

यम एवं नियम के अलावा योग के शेष छह अंग—आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि व्यक्तिगत उत्कर्ष के माध्यम हैं। आसन में जहाँ योगासनों द्वारा शारीरिक नियंत्रण प्राप्त किया जाता है, वहीं प्राणायाम, प्राण पर नियंत्रण की विधि है। प्रत्याहार के अंतर्गत जहाँ इंद्रियों को अंतर्मुखी बनाया जाता है, वहीं धारणा का संबंध एकाग्रचित्त होने से है। ध्यानस्थ होने की क्रिया ध्यान है, तो समाधि शब्दों से परे परम चैतन्य की अवस्था है। स्पष्ट है कि आठ आयामों वाला योग का मार्ग अत्यंत कल्याणकारी एवं लाभप्रद है। योग व्यक्तिगत, सामाजिक एवं आध्यात्मिक उन्नति एवं उत्थान के मार्ग को प्रशस्त करता है।

आधुनिक विश्व में आतंकवाद, अशांति, युद्ध, हिंसा, जलवायु परिवर्तन एवं ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं ने सिर उठाया है। इनमें समूचा विश्व दहल रहा है। इन चुनौतियों से निपटने में योग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, क्योंकि ये सभी समस्याएं, जो बड़ी चुनौती बनकर हमारे सामने खड़ी हैं, वस्तुतः ये सभी अनियंत्रित चित्तवृत्तियों की ही देन हैं, जिनका निरोध करना ही योग का मूल-आधार है। यह अकारण नही है कि हमारे वैदिक वाङ्मय, विशेषतः उपनिषदों में अनेक बार योग की उपयुक्तता को स्वीकृति प्रदान की गई है। ऐसा इसकी वैश्विक महत्ता को ही दर्शाने के लिए ही किया गया। वर्तमान कालखंड की विसंगतियों एवं विडंबनाओं को देखते हुए योग की वैश्विक ग्राह्यता एवं उपदेयता बढ़ी है, जिसे 'योग दिवस' जैसे अंतर्राष्ट्रीय आयोजन ने और मजबूती प्रदान की है।

भारतीय संस्कृति लोक-कल्याण की रही है तथा इसमें सार्वभौमिकता एवं सर्वांगीणता पर विशेष बल दिया गया है। विश्व के कल्याण की कामना करने वाली यह संस्कृति लोक-कल्याण की उदार भावना से प्रेरित है। योग के वैश्विक प्रसार से भारतीय संस्कृति के मूल्य और अधिक श्रेष्ठता को प्राप्त करेंगे और समूचा विश्व हमारी सांस्कृतिक श्रेष्ठता का कुछ इस प्रकार कायल बनेगा—

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुखभाग भवेत्॥

अर्थात सभी सुखी हों, विघ्न रहित हों, कल्याण का दर्शन करें तथा किसी को कोई दुख प्राप्त न हो।

गांधीजी और स्वच्छता

''स्वतंत्रता से ज्यादा महत्त्वपूर्ण है स्वच्छता।''

—महात्मा गांधी

बापू के उक्त कथन से यह ध्वनित होता है कि वह जीवन में स्वच्छता के कितने बड़े हिमायती थे। सबसे बड़ी बात यह है कि वह सिर्फ बाहरी स्वच्छता यानी घर, पास-पड़ोस आदि के ही पक्षधर नहीं थे, बल्कि मन की स्वच्छता के भी प्रबल पक्षधर थे। उनका यह मानना था कि यदि मन और पड़ोस स्वच्छ नहीं होगा, तो अच्छे, सच्चे एवं ईमानदार विचार आना असंभव है। आंतरिक स्वच्छता को वह वाह्य स्वच्छता के लिए आवश्यक मानते थे। अपने इस दृष्टिकोण का उन्होंने एक पत्र में इस प्रकार रेखांकित किया—''**वह जो सचमुच में भीतर से स्वच्छ है, वह अस्वच्छ बनकर नहीं रह सकता।**'' एक सुन्दर, पवित्र, समरस और बुराइयों से मुक्त समाज के निर्माण के लिए बापू के स्वच्छता दर्शन से श्रेष्ठ कोई अन्य दर्शन नहीं हो सकता।

आंतरिक स्वच्छता की महत्ता को बापू ने 10 दिसंबर, 1925 के यंग इंडिया के अंक में कुछ इस प्रकार रेखांकित किया था—''**आंतरिक स्वच्छता पहली वस्तु है, जिसे पढ़ाया जाना चाहिए, अन्य बातें प्रथम और सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पाठ सम्पन्न होने के बाद लागू की जानी चाहिए।**'' वह मानव प्रगति के लिए आंतरिक और बाहरी स्वच्छता को आवश्यक मानते थे। उन्होंने स्वच्छता को आत्मविकास एवं राष्ट्रविकास का सबसे महत्वपूर्ण अवयव माना और इसे इस प्रकार स्पष्ट किया—''**एक पवित्र आत्मा के लिए एक स्वच्छ शरीर में रहना उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना कि किसी स्थान, शहर, राज्य और देश के लिए स्वच्छ रहना जरूरी होता है, ताकि इसमें रहने वाले लोग स्वच्छ और ईमानदार हों।**'' स्वच्छता का उनका दर्शन अत्यंत

व्यापक था। इस व्यापकता को उन्होंने यह कह कर व्यक्त किया कि यदि कोई व्यक्ति स्वच्छ नहीं है, तो वह स्वस्थ नहीं रह सकता है। और यदि वह स्वस्थ नहीं है, तो वह स्वस्थ मनोदशा के साथ नहीं रह पाएगा। स्वस्थ मनोदशा से ही स्वस्थ चरित्र का विकास होगा।

महात्मा गांधी ने सदैव समग्र स्वच्छता की पैरोकारी की और सम्पूर्ण स्वच्छता के लिए इसे आवश्यक बताया। यही कारण है कि उन्होंने सिर्फ व्यक्तिगत स्वच्छता पर बल नहीं दिया, अपितु समग्र रूप से सामाजिक स्वच्छता पर विशेष बल दिया। कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपनी स्वच्छता के साथ दूसरों की स्वच्छता के प्रति संवेदनशील नहीं है, तो ऐसी स्वच्छता बेईमानी है। उदाहरण के तौर पर इसे अपना घर साफ कर कूड़ा दूसरे के घर के बाहर छोड़ने के रूप में लिया जा सकता है। यदि सभी लोग ऐसा करने लगें, तो ऐसे तथाकथित स्वच्छ लोग अस्वच्छ वातावरण तथा अस्वच्छ समाज का ही निर्माण करेंगे। उन्होंने हमें यह सीख दी कि यदि व्यक्तिगत स्वच्छता में सामूहिक स्वच्छता के प्रति उत्तरदायित्व का बोध नहीं हो, तो ऐसी स्वच्छता सिर्फ दिखावा है।

गांधी जी ने हमें यह दायित्व-बोध करवाया कि हम दूसरों के लिए गंदगी न फैलाएं। खुद जो गंदगी फैलाएं, उसकी सफाई भी स्वयं करें। इसमें ऊँच-नीच का भेदभाव नहीं होना चाहिए। स्वच्छता के संदर्भ में 25 अप्रैल, 1929 के यंग इंडिया के अंक में बापू की यह टिप्पणी अत्यंत महत्वपूर्ण है—''हम अपने घरों से गंदगी हटाने में विश्वास करते हैं, परन्तु हम समाज की परवाह किए बगैर इसे गली में फेंकने में भी विश्वास करते हैं। हम व्यक्तिगत रूप से साफ-सुथरे रहते हैं, परन्तु राष्ट्र के, समाज के सदस्य के तौर पर नहीं, जिसमें कोई व्यक्ति एक छोटा-सा अंश होता है। यही कारण है कि हम अपने घर के द्वार के बाहर इतनी अधिक गंदगी और कूड़ा-कचड़ा पड़ा हुआ पाते हैं। हमारे आस-पास कोई अजनबी अथवा बाहरी लोग गंदगी फैलाने नहीं आते हैं। ये हम ही हैं, जो अपने आस-पास रहते हैं। इस गंदगी को फैलाकर बदहाली की स्थिति पैदा कर देते हैं। जब हम कूड़े से भरा थैला अपने दरवाजे या खिड़की से फेंकते हैं, हम खुश हो सकते हैं कि हमारा घर साफ है, परन्तु हमारा आस-पड़ोस भी हमारी बस्ती का ही हिस्सा है और यदि कोई जान-बूझकर इसे गंदा करने का काम करता है, तो पूरा परिसर गंदगी का ढेर हो जाएगा, क्योंकि किसी बस्ती में रहने वाला हर व्यक्ति एक ही तरह से व्यवहार करता है और उसे इस बात की कोई चिन्ता नहीं होती कि वह अपने पड़ोस, समुदाय और शहर को किस प्रकार गंदा कर रहा है।''

बापू ने स्वच्छता का सबक सिर्फ जनसाधारण को ही नहीं दिया, अपितु निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र के निकायों में भी स्वच्छता बढ़ाने पर बल दिया। उनका मानना था कि प्रत्येक संगठन में ऊपर से लेकर नीचे तक प्रत्येक सदस्य की जिम्मेदारी है कि वह अपने प्रचालन स्थल के पर्यावरण को गंदा अथवा प्रदूषित न करे। सरकारें और नगर परिषदें कुछ सीमा तक प्रयास कर सकती हैं। उनकी अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन यदि हर व्यक्ति इसे अपनी जिम्मेदारी और कर्त्तव्य समझे, तो न केवल भारत को एक स्वच्छ राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करना अधिक संभव होगा, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भारतीय स्वच्छ बन पाएंगे और तब वे एक स्वच्छ राष्ट्र, एक स्वच्छ सभ्यता और एक स्वच्छ व्यक्ति होने का उदाहरण बनकर गर्व महसूस कर सकेंगे।

बापू ने हमें सिर्फ स्वच्छता की कोरी सीख ही नहीं दी, बल्कि इसे स्वयं अपने निजी जीवन में उतार कर प्रेरक उदाहरण भी प्रस्तुत किया। साबरमती आश्रम की साफ-सफाई एवं पेड़-पौधों की देखभाल वह स्वयं ही करते थे। सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि दक्षिण अफ्रीका में भी उन्होंने साफ-सफाई का प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत किया। वहां बापू जिस बस्ती में रहते थे, उस बस्ती, उसके आस-पास के क्षेत्र और शहरों की सफाई में उन्होंने बढ़-चढ़ कर योगदान दिया। यह वाकिया उन दिनों का है, जब डरबन की एक भारतीय बस्ती में प्लेग फैला। इस विषम स्थिति में बापू ने न सिर्फ बीमारों की सेवा का बीड़ा उठाया, बल्कि प्लेग के प्रसार को रोकने के लिए वहां जमकर सफाई अभियान चलाया। ऐसा करते हुए उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि वह स्वयं भी प्लेग की चपेट में आ सकते हैं।

एक और प्रेरक उदाहरण देखें। उन दिनों कोलकाता में कांग्रेस का सम्मेलन चल रहा था। इसमें सम्मिलित होने के लिए बापू दक्षिण अफ्रीका से आए थे। कार्यक्रम स्थल पर व्याप्त गंदगी और अस्वच्छता को देखकर वह व्याकुल हो उठे। उन्होंने आगे बढ़ कर वहां स्वयं सफाई का काम शुरू कर दिया। यहां तक कि शौचालयों की भी सफाई की और उन्हें ढंका भी। इसके साथ ही उन्होंने सम्मेलन में सम्मिलित होने आए प्रतिनिधियों को दिए अपने भाषण में स्वच्छता के महत्व पर भी प्रकाश डाला।

आज भारत में बहने वाली नदियों की दयनीय दशा किसी से छिपी नहीं है। पावन कहलाने वाली नदियां प्रदूषण का दंश झेल रही हैं। नदियों को प्रदूषित करने में हमारा ही योगदान है। बापू ने बहुत पहले ही इस बारे में आगाह करते हुए कहा था कि नदियां हमारे देश की नाड़ियों की तरह हैं और हमारी सभ्यता हमारी नदियों की स्थिति पर निर्भर है। यदि हम उन्हें गंदा करना जारी रखेंगे, जिस तरह से हम कर रहे हैं, वह दिन दूर नहीं, जब हमारी नदियां जहरीली हो जाएंगी और यदि ऐसा हुआ तो हमारी सभ्यता नष्ट हो जाएगी। हम पर्यावरणीय आपदा के मुहाने पर खड़े हैं, क्योंकि हमने अपनी सबसे पवित्र नदी गंगा को प्रदूषित कर डाला है। बापू ने इस बात को लेकर चिन्ता व्यक्त की थी कि लोग नदियों में गंदगी को बहाते कैसे हैं। यदि तब हमने बापू की बातों पर अमल किया होता, तो आज हमारी नदियों का यह हश्र न होता।

बापू ने स्वच्छता के लिए न सिर्फ व्यावहारिक पहलें कीं, अपितु व्यावहारिक सीख भी दी। स्वच्छता के लिए उन्होंने जनसहभागिता और जनजागरूकता पर विशेष बल दिया और साफ-सफाई के लिए आत्म-प्रेरित प्रयासों को आवश्यक माना। स्वच्छता को सामूहिक जिम्मेदारी बताते हुए उन्होंने यह रेखांकित किया कि इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को चिन्ता करनी होगी और जिम्मेदारी लेनी होगी। स्वच्छता चेतावनियों, कानूनों अथवा अध्यादेश जारी करके इसे हासिल नहीं किया जा सकता। इसे आदत में शामिल करके ही हासिल किया जा सकता है।

स्वच्छ भारत अभियान के परिप्रेक्ष्य में बापू का स्वच्छता दर्शन अत्यंत प्रासंगिक है। इस अभियान की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि हम बापू के दिखाए रास्ते पर आगे बढ़ें। हम स्वच्छ भारत का लक्ष्य केवल अपनी आत्मा की शुद्धता और इसके बाद अपने आस-पास की साफ-सफाई करके ही हासिल कर सकते हैं। यही बापू को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी।

भारत में लोकपाल

भारत में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण एवं नागरिक हितों के संरक्षण के लिए एक लंबे समय से केंद्रीय कानून के रूप में लोकपाल की व्यवस्था किए जाने की मांग की जा रही थी, जो कि अब पूरी हो चुकी है। बहुप्रतीक्षित 'लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 2013' 17 दिसंबर, 2013 को राज्य सभा एवं 18 दिसंबर, 2013 को लोकसभा में ध्वनिमत से पारित होने के बाद अब अधिनियम के रूप में अस्तित्व में आ चुका है। इसे 1 जनवरी, 2014 को राष्ट्रपति की संस्तुति मिली और अधिनियमित होने के उपरांत यह कानून के रूप में 16 जनवरी, 2014 को देश में लागू हुआ। यह कानून पाने के लिए कब-कब क्या-क्या प्रयास हुए तथा इसका स्वरूप क्या है, इन बिंदुओं पर चर्चा करने से पूर्व यह जान लेना समीचीन रहेगा कि लोकपाल कहते किसे हैं।

वस्तुतः लोकपाल (Ombudsman) वह सरकारी व्यक्ति होता है, जिसे किसी सरकारी व्यक्ति के खिलाफ शिकायतों की जांच-पड़ताल करने का अधिकार प्राप्त होता है। आधुनिक शासन की बढ़ती हुई शक्तियों से नागरिकों के हितों एवं अधिकारों की रक्षा करने के लिए जिन अनेक युक्तियों का आविष्कार किया गया, उनमें से लोकपाल (Ombudsman) भी एक है। ओम्बुड्समैन की अवधारणा का आविर्भाव सर्वप्रथम 1809 में स्वीडेन में हुआ था। ओम्बुड्समैन का कार्य सरकारी विभागों के विरुद्ध नागरिकों की शिकायतों की छानबीन करना है। यदि उसे पता चलता है कि नागरिक की शिकायत सही है, तो वह उसके प्रति हुए अन्याय के निवारण का प्रयत्न करता है। इसकी भूमिका एक लोक-अदालतकर्ता जैसी होती है। पिछले कुछ दशकों में लोकपाल प्रणाली का तीव्र विकास हुआ है तथा इसे विश्व के अनेक देशों द्वारा अपनाया जा चुका है।

यह कहना बेजा न होगा कि भारत में लोकपाल प्रणाली को अपनाने में बहुत देर की गई, जबकि इसकी मांग लंबे समय से की जा रही थी। भारत में प्रशासन के विरुद्ध नागरिकों की शिकायतों की देखभाल करने के लिए एक लोकपाल प्रकार की संस्था के गठन का विचार पहली बार सन् 1963 में कानून मंत्रालय की अनुदान सम्बन्धी माँगों पर चर्चा के दौरान सामने आया। परंतु सन् 1966 में पहली बार केंद्र में एक लोकपाल एवं राज्यों में लोकायुक्त को नियुक्त किए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। चौथी लोकसभा में सबसे पहली बार सन् 1968 में एक लोकपाल विधेयक प्रस्तुत किया गया। हालांकि उसके बाद मात्र 1985 को छोड़कर यह बिल प्रत्येक लोकसभा में निरंतर गिरता रहा जब सरकार द्वारा इसे वापस ले लिया गया। इसके अनुक्रमिक संस्करणों को क्रमशः 1971, 1977, 1985, 1989, 1996,1998 तथा 2001 में प्रस्तुत किया जाता रहा परंतु यह कभी भी संसद से पारित नहीं हो सका। 4 अगस्त, 2001 को लोकसभा में प्रस्तुत लोकपाल विधेयक इस विधेयक का संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाने वाला 9वाँ संस्करण था।

सन् 2004 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यू.पी.ए.) सरकार के राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में यह वचन दिया गया कि लोकपाल विधेयक को लागू किया जाएगा। द्वितीय प्रशासनिक आयोग, 2005 द्वारा भी यह सुझाव दिया गया कि लोकपाल के पद को बिना किसी बिलंब के स्थापित किया जाए। जनवरी 2011 में यूपीए सरकार ने प्रणव मुखर्जी की अध्यक्षता में मंत्रियों के एक समूह का गठन किया जिसे भ्रष्टाचार से निपटने के साथ-साथ लोकपाल विधेयक के प्रस्ताव का परीक्षण पर भी अपने सुझाव देने थे। सन् 1968 से 2011 तक प्रस्तावित समस्त विधेयकों में सरकार द्वारा प्रधानमंत्री को भी कानून की परिधि में लाए जाने परंतु न्यायपालिका को इससे बाहर रखने पर सहमति प्रदान की गई थी।

अंततः वर्ष 2013 के दिसंबर माह में वह शुभ घड़ी आई, जब लोकपाल विधेयक सारी बाधाएं पार कर गया और जनवरी, 2014 से अधिनियम के रूप में लागू भी हो गया। बहुप्रतीक्षित **'लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 2013'** को 17 दिसंबर,2013 को राज्य सभा द्वारा तथा 18 दिसंबर, 2013 को लोकसभा द्वारा ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि यह विधेयक मूलतः दिसंबर, 2011 में लोकसभा में प्रस्तुत एवं पारित किया गया था परंतु राज्यसभा द्वारा इसे सेलेक्ट कमेटी (अध्यक्ष-कांग्रेस के सत्यव्रत चतुर्वेदी) को संदर्भित किया गया था तथा उसके द्वारा सुझाए गए कतिपय संशोधनों के साथ इसे राज्यसभा ने पारित किया है (साथ ही संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार राज्यसभा में संशोधित विधेयक पारित होने के कारण लोकसभा को इसे पुनः पारित करना पड़ा है)। राष्ट्रपति की संस्तुति के बाद अधिनियम के रूप में यह जनवरी, 2014 से देश में लागू हुआ।

'लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013' के मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं—

- केंद्र में 'लोकपाल' और राज्यों के स्तर पर 'लोकायुक्त' होंगे।
- 'लोकपाल' में एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होंगे, जिनमें से 50 प्रतिशत न्यायिक सदस्य होंगे। साथ ही लोकपाल के 50 प्रतिशत सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों तथा महिलाओं में से होने चाहिए।
- 'लोकपाल' के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन एक चयन समिति द्वारा किया जाएगा। इस चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश (या उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय का एक वर्तमान न्यायाधीश) तथा इन चार सदस्यों की संस्तुतियों के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा नामित प्रख्यात विधिवेत्ता सदस्य होंगे।
- इस विधेयक में सांसदों/विधायकों, भ्रष्टाचार के दोषी व्यक्तियों तथा 45 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को लोकपाल में न रखने का प्रावधान है।
- पदमुक्ति के बाद लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकेगी, इन्हें कोई कूटनीतिक जिम्मेदारी या संघीय क्षेत्र के प्रशासक के रूप में नियुक्ति नहीं दी जा सकती तथा पद छोड़ने के 5 वर्ष बाद तक ये कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।

- जहां तक लोकपाल के क्षेत्राधिकार का प्रश्न है, प्रधानमंत्री को भी लोकपाल के दायरे में लाया गया है। साथ ही सभी श्रेणियों के सरकारी कर्मचारी लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में आएंगे। इसके अतिरिक्त विदेशी योगदान नियमन अधिनियम (FCRA) के तहत प्रति वर्ष 10 लाख रु. से अधिक विदेशी स्रोत से अनुदान प्राप्त करने वाले सभी संगठन लोकपाल के तहत आएंगे।
- सीबीआई सहित किसी भी जांच एजेंसी को लोकपाल द्वारा भेजे गए मामलों की निगरानी करने तथा निर्देश देने का लोकपाल को अधिकार होगा।
- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति सीबीआई के निदेशक के चयन की सिफारिश करेगी।
- अभियोजन निदेशक (Director of Prosecution) की अध्यक्षता में अभियोजन निदेशालय होगा, जो पूरी तरह से निदेशक के अधीन होगा।
- सीबीआई के अभियोजन निदेशक की नियुक्ति केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) की सिफारिश पर की जाएगी।
- लोकपाल द्वारा सीबीआई को सौंपे गए मामलों की जांच कर रहे अधिकारियों का तबादला लोकपाल की स्वीकृति से ही हो सकेगा।
- इस विधेयक में भ्रष्टाचार के जरिये अर्जित संपत्ति की कुर्की करने और उसे जब्त करने के प्रावधान शामिल किए गए हैं, चाहे अभियोजन की प्रक्रिया अभी चल ही रही हो।
- विधेयक में प्रारंभिक पूछताछ, जांच और मुकदमे के लिए स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित की गई है तथा इसके लिए विधेयक में विशेष न्यायालयों के गठन का भी प्रावधान है।
- इस अधिनियम के लागू होने के 365 दिन के भीतर राज्य विधानसभाओं द्वारा कानून बनाकर लोकायुक्त की नियुक्ति की जानी अनिवार्य होगी।

भ्रष्टाचार एवं कुशासन की समस्या से जूझ रहे इस देश के लिए 'लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013' एक ताजा हवा के झोंके-सा है। यहां यह रेखांकित करना आवश्यक है कि इस कानून को मूर्तरूप प्रदान करने के लिए समाज सेवी एवं गांधीवादी विचारक अन्ना हजारे ने लंबी लड़ाई लड़ी, जिसमें नागरिक समाज ने भी भरपूर योगदान दिया।

उम्मीद की जा सकती है कि अपने उद्देश्यों के अनुरूप 'लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013' सुशासन को प्रोत्साहित करने, भ्रष्टाचार से लड़ने तथा नागरिकों के वैधानिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस कानून के प्रभावी होने से जहां भ्रष्टाचार मुक्त भारत का स्वप्न साकार होगा, वहीं शासन-प्रशासन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ेगी।

◆◆◆

पढ़िए... उपलब्ध

परीक्षा मंथन

वस्तुनिष्ठ सामान्य हिन्दी

सिविल, बैंक, रेलवे, एसएससी आदि परीक्षाओं हेतु विशेष उपयोगी

मूल्य : 125 रु.

मंथन प्रकाशन

7R/5 ताशकन्द मार्ग (स्प्रिंग डेल नर्सरी स्कूल के सामने) इलाहाबाद

मोबाइल नं. : 09794530483; 09415644821